राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-20/3021 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **14 SLD** का मु0 संख्या **70/45** रकबा **24.25** श्री **गंगाराम** पुत्रश्री **रामसहाय** जाति **चमार** निवासी **खानपुरा** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/3/1992** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **3/11/2015** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गंगाराम** की मृत्यु दिनांक **4/3/1992** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गंगाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-20**/3022–3028 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गंगाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **पताशीदेवी, विजयसिंह, कृष्णा** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गंगाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **खानपुरा** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-207/3029 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **4 BTSM** का मु0 संख्या **18/07** रकबा **15.00** श्री **खादेम हुसैन** पुत्रश्री **फतेह मोहम्मद** जाति **कायमखानी** निवासी **झुंझुंनू** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/1/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **6/24/2015** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खादेम हुसैन** की मृत्यु दिनांक **1/1/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खादेम हुसैन** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-207**/3030–3036 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खादेम हुसैन** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रज्जा मोहम्मद, मोहम्मद सोहेल वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खादेम हुसैन** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **झुंझुंनू** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-265/3037 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **4 MGR** का मु0 संख्या **74/21** रकबा **25.00** श्री **केशरसिंह** पुत्रश्री **बागसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **हीरवा** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/15/1991** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **केशरसिंह** की मृत्यु दिनांक **11/15/1991** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **केशरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-265**/3038–3044 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **केशरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **छगन कंवर, नरेन्द्र सिंह,जोगेन्द्र सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **केशरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हीरवा** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-282/3045 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **6 BIM** का मु0 संख्या **230/46** रकबा **24.25** श्री **मालसिंह** पुत्रश्री **जयसिंह** जाति **जाट** निवासी **गौरीर** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/1/1994** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालसिंह** की मृत्यु दिनांक **6/1/1994** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-282**/3046–3052 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **जयसिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गौरीर** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-309/3053 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 TM** का मु0 संख्या **240/8** रकबा **25.00** श्री **मनरूप** पुत्रश्री **सूरताराम** जाति **जाट** निवासी **इंद्रा कोलोनी महात्मा गांधी मेमोरियल स्कूल के पास ग्रम पोस्ट सिघाना** तहसील **बुहाना** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/10/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मनरूप** की मृत्यु दिनांक **5/10/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मनरूप** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-309**/3054–3060 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मनरूप** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सावित्री देवी** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मनरूप** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **इंद्रा कोलोनी महात्मा गांधी मेमोरियल स्कूल के पास ग्रम पोस्ट सिघाना** तहसील **बुहाना** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-326/3061 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं 1** जिला जैसलमेर के चक **4 NM** का मु0 संख्या **233/61** रकबा **25.00** श्री **रघुनाथसिंह** पुत्रश्री **सहलसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **हीरवा** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/20/1993** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रघुनाथसिंह** की मृत्यु दिनांक **7/20/1993** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रघुनाथसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-326**/3062–3068 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रघुनाथसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **(पत्रावली पर उपलब्ध नहीं)** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रघुनाथसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हीरवा** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-352/3069 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **5-6 DGM-II** का मु0 संख्या **190/53** रकबा **12.30** श्री **रतिराम** पुत्रश्री **अमीचन्द** जाति **गुर्जर** निवासी **थली** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/15/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रतिराम** की मृत्यु दिनांक **7/15/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रतिराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-352**/3070–3076 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रतिराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **राजबाला,सुमेर सिंह, बंजरगलाल** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रतिराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **थली** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-243/3077 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **20 MKM-II** का मु0 संख्या **208/61** रकबा **25.00** श्री **गुनसिंह** पुत्रश्री **जीवाराम** जाति **अहीर** निवासी **हीरवा** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/18/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुनसिंह** की मृत्यु दिनांक **6/18/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुनसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-243**/3078–3084 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुनसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सोना देवी राजेन्द्र, अ ोक** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुनसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हीरवा** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-14/3085 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **10 SLD** का मु0 संख्या **50/41** रकबा **25.00** श्री **अमरसिंह** पुत्रश्री **भीमसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **बुहाना** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/4/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमरसिंह** की मृत्यु दिनांक **4/4/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-14**/3086–3092 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **किरण देवी,संतोश कुमारी,प्रिया कुमारी,सरोज,अनिता** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बुहाना** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-29/3093 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 DWSM** का मु0 संख्या **148/19** रकबा **25.00** श्री **दयानन्द** पुत्रश्री **देवाराम** जाति **जाट** निवासी **लाम्बी जाट** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/31/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दयानन्द** की मृत्यु दिनांक **7/31/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दयानन्द** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-29**/3094–3100 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दयानन्द** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **जयकुमार, जयप्रका I, राजे I वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दयानन्द** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **लाम्बी जाट** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-46/3101 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **6 BLM** का मु0 संख्या **91/22** रकबा **25.00** श्री **शिवदानसिंह** पुत्रश्री **लादूसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **बडाड** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/7/2005** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शिवदानसिंह** की मृत्यु दिनांक **7/7/2005** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शिवदानसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-46**/3102–3108 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शिवदानसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मालू कंवर,महावीर सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शिवदानसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बडाड** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-368/3109 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 GWM** का मु0 संख्या **106/19** रकबा **24.25** श्री **प्रहलाद** पुत्रश्री **सुरजाराम** जाति **नायक** निवासी **चिचडोडी** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/3/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रहलाद** की मृत्यु दिनांक **10/3/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रहलाद** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-368**/3110–3116 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रहलाद** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **कि ती देवी** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रहलाद** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चिचडोडी** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-370/3117 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **6 MKM-II** का मु0 संख्या **88/53** रकबा **25.00** श्री **धन्नाराम** पुत्रश्री **जीवाराम** जाति **गुर्जर** निवासी **माधोगढ** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/16/1993** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धन्नाराम** की मृत्यु दिनांक **10/16/1993** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धन्नाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-370**/3118–3124 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धन्नाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भगवती देवी,ओमप्रका I, मातादीन,देवीसहाय** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धन्नाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **माधोगढ** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-7/3125 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **5 MKM-II** का मु0 संख्या **88/62** रकबा **25.00** श्री **स्योजीसिंह** पुत्रश्री **गणपतसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **भराना** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/2/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **स्योजीसिंह** की मृत्यु दिनांक **6/2/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **स्योजीसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-7**/3126–3132 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **स्योजीसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **(पत्रावली पर उपलब्ध नहीं)** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **स्योजीसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भराना** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-182/3133 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **14 MKD** का मु0 संख्या **167/62** रकबा **25.00** श्री **बेरीसाल सिंह** पुत्रश्री **बृजलालसिंह** जाति **धाबाई** निवासी **नुआ** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/7/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बेरीसाल सिंह** की मृत्यु दिनांक **6/7/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बेरीसाल सिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-182**/3134–3140 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बेरीसाल सिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रघुवीर सिंह, रतन सिंह, सुरेन्द्र सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बेरीसाल सिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **नुआ** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-341/3141 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **29 JJW** का मु0 संख्या **44/5** रकबा **25.00** श्री **शैतानसिंह** पुत्रश्री **गाडसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **रामपूरा** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/26/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शैतानसिंह** की मृत्यु दिनांक **8/26/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शैतानसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-341**/3142–3148 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शैतानसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **बान सिंह, मदन सिंह, बजरंग सिंह, हनुमान सिंह,** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शैतानसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **रामपूरा** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-369/3149 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **14 SLD** का मु0 संख्या **90/3** रकबा **25.00** श्री **युसफ खॉ** पुत्रश्री **फैज मोहम्मद** जाति **मुसलमान** निवासी **शेखसर** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/28/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **युसफ खॉ** की मृत्यु दिनांक **10/28/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **युसफ खॉ** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-369**/3150–3156 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **युसफ खॉ** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मुबारक अली, जाकिर हुसैन वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **युसफ खॉ** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **शेखसर** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-407/3157 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **12 JWM-A** का मु0 संख्या **206/64** रकबा **25.00** श्री **किसनलाल** पुत्रश्री **कूरडाराम** जाति **जाट** निवासी **श्यामपूरा** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12:00:00 AM** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किसनलाल** की मृत्यु दिनांक **12:00:00 AM** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किसनलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-407**/3158–3164 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किसनलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मनी देवी, जयप्रका ा, सुरेन्द्र,धर्मवीर,विद्याधर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किसनलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **श्यामपूरा** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-521/3165 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **6 KJM** का मु0 संख्या **222/57** रकबा **16.30** श्री **जयनारायण** पुत्रश्री **गोरधन** जाति **जाट** निवासी **भरोत का बास** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/21/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जयनारायण** की मृत्यु दिनांक **9/21/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जयनारायण** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-521**/3166–3172 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जयनारायण** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **समकोरी देवी, अनिल कुमार ,सुनिल कुमार, सुनिता,सुमित्रा** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जयनारायण** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भरोत का बास** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-573/3173 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **16 MKM-II** का मु0 संख्या **08/50** रकबा **25.00** श्री **मालाराम** पुत्रश्री **कालूराम** जाति **जाट** निवासी **रामसपुर** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/28/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालाराम** की मृत्यु दिनांक **9/28/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-573**/3174–3180 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **जानकी देवी,** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **रामसपुर** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-574/3181 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **3 JSM** का मु0 संख्या **144/11** रकबा **24.25** श्री **झाबरसिंह** पुत्रश्री **विशालसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **डाबडी** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/14/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **झाबरसिंह** की मृत्यु दिनांक **2/14/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **झाबरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-574**/3182–3188 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **झाबरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **प्रेम कंवर, राजू सिंह, सुरे ा सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **झाबरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **डाबडी** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-45/3189 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **77 SD** का मु0 संख्या **18/11** रकबा **23.00** श्री **रूपसिंह** पुत्रश्री **मेघसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **जामिलपुर** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/7/1983** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रूपसिंह** की मृत्यु दिनांक **10/7/1983** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रूपसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-45**/3190–3196 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रूपसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **प्रताप कंवर, मदन सिंह, लक्षमण सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रूपसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **जामिलपुर** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-177/3197 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **6 QLM** का मु0 संख्या **52/14** रकबा **24.25** श्री **चूनीलाल** पुत्रश्री **झाबरलाल** जाति **जाट** निवासी **रसोडा** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/23/2005** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चूनीलाल** की मृत्यु दिनांक **9/23/2005** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चूनीलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-177**/3198–3204 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चूनीलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रामकौरी देवी, होि ियार सिंह, सज्जन सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चूनीलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **रसोडा** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-270/3205 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **70 SD** का मु0 संख्या **18/02** रकबा **24.25** श्री **रामलाल** पुत्रश्री **रूपाराम** जाति **जाट** निवासी **मदनसर** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/21/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामलाल** की मृत्यु दिनांक **12/21/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-270**/3206–3212 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सिणगारी देवी, बनवारीलाल, राके I** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मदनसर** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-293/3213 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **12 DGM-II** का मु0 संख्या **169/11** रकबा **25.00** श्री **मामराज** पुत्रश्री **भूराराम** जाति **जाट** निवासी **हमीरवास** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/28/2006** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मामराज** की मृत्यु दिनांक **1/28/2006** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मामराज** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-293**/3214–3220 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मामराज** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **ि ा राम** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मामराज** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हमीरवास** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-315/3221 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **3 DWM** का मु0 संख्या **172/21** रकबा **25.00** श्री **नारायणसिंह** पुत्रश्री **श्योलालसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **पटोदा** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/30/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नारायणसिंह** की मृत्यु दिनांक **7/30/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नारायणसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-315**/3222–3228 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नारायणसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मदन सिंह, उच्छव कंवर वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नारायणसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **पटोदा** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-325/3229 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **1-3 LM** का मु0 संख्या **122/34** रकबा **24.25** श्री **बजरंगलाल** पुत्रश्री **महादेवाराम** जाति **जाट** निवासी **इण्डाली** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/23/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बजरंगलाल** की मृत्यु दिनांक **2/23/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बजरंगलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-325**/3230–3236 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बजरंगलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मनोहरी देवी,रामनिवास, महेन्द्र सिंह, सुभाश चंद्र** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बजरंगलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **इण्डाली** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-346/3237 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **5-8 BTSM** का मु0 संख्या **17/53** रकबा **15.00** श्री **श्योजीराम** पुत्रश्री **चन्द्राराम** जाति **जाट** निवासी **बाडेट** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/9/1993** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योजीराम** की मृत्यु दिनांक **7/9/1993** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योजीराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-346**/3238–3244 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योजीराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **पारा देवी,भींवा राम** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योजीराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बाडेट** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-394/3245 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **72 SD** का मु0 संख्या **17/51** रकबा **24.25** श्री **हरलालसिंह** पुत्रश्री **कालूराम** जाति **जाट** निवासी **हमीरवास** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/14/1990** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरलालसिंह** की मृत्यु दिनांक **2/14/1990** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरलालसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-394**/3246–3252 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरलालसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **पूली देवी,रामनिवास, जयसिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरलालसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हमीरवास** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-19/3253 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 GWM** का मु0 संख्या **107/09** रकबा **25.00** श्री **मंदरूपसिंह** पुत्रश्री **धीगसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **पूरिया** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/9/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मंदरूपसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/9/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मंदरूपसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-19**/3254–3260 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मंदरूपसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **(पत्रावली पर उपलब्ध नहीं)** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मंदरूपसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **पूरिया** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-55/3261 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **45 BD** का मु0 संख्या **115/36** रकबा **24.25** श्री **सुरेन्द्रसिंह** पुत्रश्री **डूंगरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **जयपहाडी** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/3/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुरेन्द्रसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/3/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुरेन्द्रसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-55**/3262–3268 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुरेन्द्रसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मिथेलस देवी, संजय सिंह, नरेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुरेन्द्रसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **जयपहाडी** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-61/3269 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **6 SLD** का मु0 संख्या **50/16** रकबा **24.25** श्री **बनेसिंह** पुत्रश्री **छोगसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **जयपहाडी** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/3/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बनेसिंह** की मृत्यु दिनांक **4/3/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बनेसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-61**/3270–3276 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बनेसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **नान कंवर,जयपाल सिंह, विरेन्द्र सिंह,भूपेन्द्र सिंह,सतेन्द्र सिंह,** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बनेसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **जयपहाडी** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-77/3277 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 GWM(A)** का मु0 संख्या **87/43** रकबा **25.00** श्री **हनुमानसिंह** पुत्रश्री **अगरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **जयपहाडी** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/6/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** की मृत्यु दिनांक **3/6/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-77**/3278–3284 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **माल कंवर,धीर सिंह,जयसिंह, दानवीर सिंह, करण सिंह,सवाई सिंह, जगत सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **जयपहाडी** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-90/3285 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **17 MKM-II** का मु0 संख्या **228/43** रकबा **25.00** श्री **बाघसिंह** पुत्रश्री **रावतसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **कालीपहाडी** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/26/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बाघसिंह** की मृत्यु दिनांक **10/26/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बाघसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-90**/3286–3292 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बाघसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **अंतर कंवर, भोपाल सिंह, बाबू सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बाघसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **कालीपहाडी** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-140/3293 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 DDM** का मु0 संख्या **162/45** रकबा **24.00** श्री **मालसिंह** पुत्रश्री **सूरजनसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **माखर** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/19/1993** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालसिंह** की मृत्यु दिनांक **9/19/1993** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-140**/3294–3300 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **प्रताप सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **माखर** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-142/3301 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **12 JWM-A** का मु0 संख्या **187/49** रकबा **25.00** श्री **भंवरसिंह** पुत्रश्री **मगनसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **दूराना** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/21/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भंवरसिंह** की मृत्यु दिनांक **9/21/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भंवरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-142**/3302–3308 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भंवरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मगन कंवर,वीरेन्द्र सिंह, मानसिंह, महावीर सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भंवरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **दूराना** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-160/3309 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **9-11 LMB** का मु0 संख्या **181/48** रकबा **25.00** श्री **भागीरथसिंह** पुत्रश्री **हरीसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **कमालसर** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/12/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भागीरथसिंह** की मृत्यु दिनांक **7/12/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भागीरथसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-160**/3310–3316 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भागीरथसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **प्रका I कंवर,भवानी प्रताप सिंह,सज्जन सिंह,राजेन्द्र सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भागीरथसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **कमालसर** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-307/3317 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **44 BD** का मु0 संख्या **95/39** रकबा **25.00** श्री **प्रभुसिंह** पुत्रश्री **मंगेजसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **बडा गांव** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/7/1992** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रभुसिंह** की मृत्यु दिनांक **7/7/1992** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रभुसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-307**/3318–3324 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रभुसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **विक्रम सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रभुसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बडा गांव** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-484/3325 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **1 BNJ** का मु0 संख्या **178/44** रकबा **24.25** श्री **इंद्रसिंह** पुत्रश्री **किशोरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **लिलो की ढाणी** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/4/2005** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **इंद्रसिंह** की मृत्यु दिनांक **11/4/2005** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **इंद्रसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-484**/3326–3332 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **इंद्रसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सुरजभान सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **इंद्रसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **लिलो की ढाणी** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-217/3333 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **12 DGM-II** का मु0 संख्या **169/3** रकबा **24.25** श्री **सज्जनसिंह** पुत्रश्री **बेरीसालसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **जाखल** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/8/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सज्जनसिंह** की मृत्यु दिनांक **8/8/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सज्जनसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-217**/3334–3340 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सज्जनसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **नंद कंवर, ि ावराज सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सज्जनसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **जाखल** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-73/3341 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **2 NM** का मु0 संख्या **233/26** रकबा **12.00** श्री **कायमसिंह** पुत्रश्री **रिशालसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **भोडगी** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12:00:00 AM** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कायमसिंह** की मृत्यु दिनांक **12:00:00 AM** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कायमसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-73**/3342–3348 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कायमसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **लक्ष्मी कंवर, ोर सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कायमसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भोडगी** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-395/3349 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **5 RYSM** का मु0 संख्या **188/47** रकबा **25.00** श्री **जाफरअली** पुत्रश्री **सवनखॉ** जाति **मुसलमान** निवासी **हुकमपुरा** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/9/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जाफरअली** की मृत्यु दिनांक **9/9/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जाफरअली** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-395**/3350–3356 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जाफरअली** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **अली,फजरू खॉ, यूनुस खॉ** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जाफरअली** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हुकमपुरा** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-409/3357 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **8 BHTM** का मु0 संख्या **21/45** रकबा **24.25** श्री **मदनसिंह** पुत्रश्री **मूलसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **नेवरी** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/11/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मदनसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/11/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मदनसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-409**/3358–3364 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मदनसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मगेज कंवर,मान सिंह, प्रेम सिंह, राजेन्द्र सिंह, विजय सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मदनसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **नेवरी** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-426/3365 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **3 RYSM** का मु0 संख्या **169/17** रकबा **25.00** श्री **धौकलसिंह** पुत्रश्री **सुगनसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **गोठडा हाल 25 बी गोविन्द नगर सागर रोड बीकानेर** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/21/1989** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धौकलसिंह** की मृत्यु दिनांक **6/21/1989** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धौकलसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-426**/3366–3372 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धौकलसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **गजेन्द्र सिंह,राजेन्द्र सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धौकलसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गोठडा हाल 25 बी गोविन्द नगर सागर रोड बीकानेर** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-428/3373 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **4-9 SLD** का मु0 संख्या **09/37** रकबा **22.00** श्री **हनुमानसिंह** पुत्रश्री **दीपसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **उदयपुरवाटी** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/6/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** की मृत्यु दिनांक **2/6/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-428**/3374–3380 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भंवर कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **उदयपुरवाटी** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-450/3381 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **1 KPM** का मु0 संख्या **124/19** रकबा **25.00** श्री **गुलाबसिंह** पुत्रश्री **फूलसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **धमौरा** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/23/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुलाबसिंह** की मृत्यु दिनांक **12/23/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुलाबसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-450**/3382–3388 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुलाबसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **जगदी I वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुलाबसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **धमौरा** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-386/3389 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **7 MKM-II** का मु0 संख्या **68/57** रकबा **25.00** श्री **हुकमसिंह** पुत्रश्री **जमनसिह** जाति **राजपूत** निवासी **धमौरा** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/4/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हुकमसिंह** की मृत्यु दिनांक **2/4/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हुकमसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-386**/3390–3396 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हुकमसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **गेंद कंवर, रामकुमार सिंह, मनोहर सिंह, रघुवीर सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हुकमसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **धमौरा** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-504/3397 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **26 JJW** का मु0 संख्या **25/58** रकबा **19.25** श्री **बजरंगसिंह** पुत्रश्री **इन्द्रसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **मोहनबाडी** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/10/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बजरंगसिंह** की मृत्यु दिनांक **11/10/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बजरंगसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-504**/3398–3404 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बजरंगसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **प्रताप सिंह, द ारथ सिंह, वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बजरंगसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मोहनबाडी** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-96/3405 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **14 MKD** का मु0 संख्या **167/54** रकबा **25.00** श्री **कल्याणसिंह** पुत्रश्री **भवंरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **उदयपुरवाटी** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/16/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कल्याणसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/16/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कल्याणसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-96**/3406–3412 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कल्याणसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **राज कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कल्याणसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **उदयपुरवाटी** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-179/3413 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **2 MKM-II** का मु0 संख्या **108/59** रकबा **25.00** श्री **शैतानसिह** पुत्रश्री **गोपालसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **देव गांव** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/21/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शैतानसिह** की मृत्यु दिनांक **7/21/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शैतानसिह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-179**/3414–3420 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शैतानसिह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **कमला,दलिप सिंह,प्रताप सिंह, उम्मेद सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शैतानसिह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **देव गांव** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-291/3421 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **10 GTM** का मु0 संख्या **168/29** रकबा **25.00** श्री **देवीसिंह** पुत्रश्री **हरिसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **पोख** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/13/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **देवीसिंह** की मृत्यु दिनांक **11/13/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **देवीसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-291**/3422–3428 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **देवीसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मंगेज कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **देवीसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **पोख** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-48/3429 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **2 RND** का मु0 संख्या **110/7** रकबा **21.70** श्री **भयोचन्दराम** पुत्रश्री **मादाराम** जाति **जाट** निवासी **लोदीपुरा** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/22/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भयोचन्दराम** की मृत्यु दिनांक **3/22/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भयोचन्दराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-48**/3430–3436 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भयोचन्दराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सिणगारी देवी, महावीर सिंह, प्रहलाद सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भयोचन्दराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **लोदीपुरा** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-52/3437 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **13 NM** का मु0 संख्या **31/41** रकबा **23.00** श्री **दलीपराम** पुत्रश्री **कसूराम** जाति **जाट** निवासी **वार्ड न.10 घुमचक्कर के पास पिलानी** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/8/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दलीपराम** की मृत्यु दिनांक **2/8/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दलीपराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-52**/3438–3444 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दलीपराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **हरीराम,लीलाधर,मानसिंह,ब्रहम्दत,महे ा कुमार** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दलीपराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **वार्ड न.10 घुमचक्कर के पास पिलानी** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-385/3445 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **13 NM** का मु0 संख्या **30/48** रकबा **13.00** श्री **भगवतसिह** पुत्रश्री **मेघसिह** जाति **राजपूत** निवासी **खेरला** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/10/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवतसिह** की मृत्यु दिनांक **5/10/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवतसिह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-385**/3446–3452 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवतसिह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मगेज कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवतसिह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **खेरला** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-387/3453 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **86 SD** का मु0 संख्या **115/54** रकबा **24.25** श्री **रावतसिंह** पुत्रश्री **केशरसिंह** जाति निवासी **कुलोठ** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/28/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रावतसिंह** की मृत्यु दिनांक **8/28/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रावतसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-387**/3454–3460 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रावतसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **किरण कॅवर, नत्थु सिहं चौहान, मूलसिंह, नोपसिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रावतसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **कुलोठ** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-246/3461 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 DWSM** का मु0 संख्या **128/58** रकबा **19.10** श्री **मूंगाराम** पुत्रश्री **हरजीराम** जाति **जाट** निवासी **लाम्बा** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/25/1985** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूंगाराम** की मृत्यु दिनांक **9/25/1985** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूंगाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-246**/3462–3468 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूंगाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **जीवणी देवी,श्रीचंद,चंदगीराम,जयसिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूंगाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **लाम्बा** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-253/3469 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **6 KJM** का मु0 संख्या **02/23** रकबा **25.00** श्री **अमीलाल** पुत्रश्री **नौपाराम** जाति **जाट** निवासी **स्वामीरोही** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/28/1990** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमीलाल** की मृत्यु दिनांक **3/28/1990** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमीलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-253**/3470–3476 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमीलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **जयकौरी देवी** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमीलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **स्वामीरोही** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-27/3477 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **5 MD (B)** का मु0 संख्या **61/37** रकबा **23.50** श्री **धमपालसिंह** पुत्रश्री **रामसिंह** जाति **जाट** निवासी **बेरी** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/10/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धमपालसिंह** की मृत्यु दिनांक **12/10/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धमपालसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-27**/3478–3484 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धमपालसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **प्रेम बाई** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धमपालसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बेरी** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-129/3485 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **3 SBS** का मु0 संख्या **56/28** रकबा **24.25** श्री **रामेश्वर** पुत्रश्री **सावंलराम** जाति **जाट** निवासी **चनाना** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/12/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामेश्वर** की मृत्यु दिनांक **5/12/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामेश्वर** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-129**/3486–3492 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामेश्वर** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रजवण, रोहिता I कुमार** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामेश्वर** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चनाना** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-199/3493 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **104 SLD** का मु0 संख्या **156/34** रकबा **25.00** श्री **लालचन्द** पुत्रश्री **चन्द्राराम** जाति **नायक** निवासी **दुधवा** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/8/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लालचन्द** की मृत्यु दिनांक **1/8/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लालचन्द** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-199**/3494–3500 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लालचन्द** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **नथीया** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लालचन्द** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **दुधवा** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-402/3501 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **6 BIM** का मु0 संख्या **158/58** रकबा **23.00** श्री **शंकरसिंह** पुत्रश्री **रूपसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **खुडानिया** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/5/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शंकरसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/5/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शंकरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-402**/3502–3508 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शंकरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **महेन्द्र सिंह, सरजीत सिंह,** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शंकरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **खुडानिया** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-283/3509 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **8 QLM** का मु0 संख्या **32/46** रकबा **24.25** श्री **हरदेवाराम** पुत्रश्री **दयालाराम** जाति **जाट** निवासी **चनाना** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/11/1992** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरदेवाराम** की मृत्यु दिनांक **5/11/1992** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरदेवाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-283**/3510–3516 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरदेवाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रूखमणी देवी** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरदेवाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चनाना** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-323/3517 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **6 QLM** का मु0 संख्या **53/25** रकबा **24.25** श्री **कर्मचन्दराम** पुत्रश्री **डेडाराम** जाति **जाट** निवासी **बख्तावरपुरा** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/10/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कर्मचन्दराम** की मृत्यु दिनांक **9/10/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कर्मचन्दराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-323**/3518–3524 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कर्मचन्दराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रामबाई** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कर्मचन्दराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बख्तावरपुरा** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-353/3525 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **4 JVM** का मु0 संख्या **208/56** रकबा **25.00** श्री **घासीराम** पुत्रश्री **गोमाराम** जाति **स्वामी** निवासी **झेरली** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/27/1991** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **घासीराम** की मृत्यु दिनांक **8/27/1991** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **घासीराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-353**/3526–3532 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **घासीराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **दतक पुत्र मदन लाल** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **घासीराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **झेरली** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-324/3533 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **5 DDM** का मु0 संख्या **117/32** रकबा **25.00** श्री **देवकरण** पुत्रश्री **हरफूल** जाति **जाट** निवासी **पिपली** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/19/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **देवकरण** की मृत्यु दिनांक **2/19/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **देवकरण** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-324**/3534–3540 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **देवकरण** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भाांति देवी, ई वर सिंह, रामफल वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **देवकरण** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **पिपली** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-460/3541 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **9-11 LMB** का मु0 संख्या **181/36** रकबा **24.25** श्री **श्योनारायणराम** पुत्रश्री **गणेशाराम** जाति **जाट** निवासी **नेतराम की ढाणी** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/22/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योनारायणराम** की मृत्यु दिनांक **6/22/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योनारायणराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-460**/3542–3548 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योनारायणराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सरती देवी, मनरूप** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योनारायणराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **नेतराम की ढाणी** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-466/3549 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 DWSM** का मु0 संख्या **148/10** रकबा **19.10** श्री **हीराराम** पुत्रश्री **हरजीराम** जाति **जाट** निवासी **लाम्बा** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/23/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हीराराम** की मृत्यु दिनांक **2/23/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हीराराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-466**/3550–3556 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हीराराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **श्रवण, ि ा ुपाल सिंह,गुलाबचंद, जगदी ा प्रसाद** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हीराराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **लाम्बा** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-97/3557 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **14 MKM-II** का मु0 संख्या **28/35** रकबा **25.00** श्री **बहादूरसिंह** पुत्रश्री **जोरावरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **हरडिया** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/23/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बहादूरसिंह** की मृत्यु दिनांक **3/23/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बहादूरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-97**/3558–3564 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बहादूरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **गुलाब कंवर,** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बहादूरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हरडिया** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-114/3565 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना न0 2** जिला जैसलमेर के चक **4-8 PWM** का मु0 संख्या **205/41** रकबा **23.55** श्री **रधूनाथसिंह** पुत्रश्री **धोकलसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **जारवल** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/4/1988** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रधूनाथसिंह** की मृत्यु दिनांक **6/4/1988** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रधूनाथसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-114**/3566–3572 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रधूनाथसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भंवर सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रधूनाथसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **जारवल** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-199/3573 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **4-5 MTM** का मु0 संख्या **172/25** रकबा **25.00** श्री **मंगेजसिंह** पुत्रश्री **हुकमसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **किशोरपुरा** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/26/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मंगेजसिंह** की मृत्यु दिनांक **4/26/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मंगेजसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-199**/3574–3580 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मंगेजसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रतन सिंह, भींभू सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मंगेजसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **किशोरपुरा** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-447/3581 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **88 SD** का मु0 संख्या **114/47** रकबा **25.00** श्री **जयकरण** पुत्रश्री **रणजीत** जाति **जाट** निवासी **बनगोडी खुर्द** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/13/1988** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **6/18/2012** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जयकरण** की मृत्यु दिनांक **4/13/1988** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जयकरण** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-447**/3582–3588 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जयकरण** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **कंवर सिंह,धर्मपाल, ज्ञाना बाई** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जयकरण** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बनगोडी खुर्द** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-161/3589 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1 DWM** का मु0 संख्या **172/45** रकबा **15.50** श्री **सरदाराराम** पुत्रश्री **लादूराम** जाति **जाट** निवासी **चनाना** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/25/2005** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **6/18/2012** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदाराराम** की मृत्यु दिनांक **8/25/2005** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदाराराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-161**/3590–3596 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदाराराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सरिया देवी,विजय कुमार वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदाराराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चनाना** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-133/3597 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **6 DWM** का मु0 संख्या **151/18** रकबा **10.00** श्री **प्रभूराम** पुत्रश्री **लक्ष्मीनारायण** जाति **जाट** निवासी **बनगोठडी** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/3/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **6/18/2012** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रभूराम** की मृत्यु दिनांक **1/3/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रभूराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-133**/3598–3604 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रभूराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **ओमपती,कविता,सुमेर सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रभूराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बनगोठडी** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-298/3605 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **18 SKD-B** का मु0 संख्या **161/44** रकबा **24.25** श्री **मातूराम** पुत्रश्री **रामकुमार** जाति **ब्राहम्ण** निवासी **केहरपुरा** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/14/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मातूराम** की मृत्यु दिनांक **2/14/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मातूराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-298**/3606–3612 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मातूराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **बीमो देवी** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मातूराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **केहरपुरा** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-86/3613 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **56-58 CWB** का मु0 संख्या **231/60** रकबा **24.25** श्री **श्योपालसिंह** पुत्रश्री **सांवतसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **कालोटा** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/31/1984** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योपालसिंह** की मृत्यु दिनांक **10/31/1984** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योपालसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-86**/3614–3620 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योपालसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मगन कंवर, बिनोद,मुनि** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योपालसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **कालोटा** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-219/3621 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **8 JWD** का मु0 संख्या **189/16** रकबा **21.20** श्री **श्रीराम** पुत्रश्री **कालूराम** जाति **जाट** निवासी **सूरों का बास** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/19/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीराम** की मृत्यु दिनांक **5/19/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-219**/3622–3628 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **दिवाली देवी** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सूरों का बास** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-54/3629 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 GWM (A)** का मु0 संख्या **87/25** रकबा **25.00** श्री **रामस्वरूप** पुत्रश्री **खालीराम** जाति **खाती** निवासी **मोईताल** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/12/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामस्वरूप** की मृत्यु दिनांक **10/12/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामस्वरूप** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-54**/3630–3636 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामस्वरूप** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मनो बाई, महिपाल,करण सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामस्वरूप** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मोईताल** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-125/3637 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **89 SD** का मु0 संख्या **134/48** रकबा **23.00** श्री **श्रीराम** पुत्रश्री **देवाराम** जाति **जाट** निवासी **खुडोत** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/12/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीराम** की मृत्यु दिनांक **7/12/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-125**/3638–3644 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **बसंती देवी,** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **खुडोत** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-45/3645 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **12 JWM (A)** का मु0 संख्या **206/55** रकबा **25.00** श्री **रामजीलाल** पुत्रश्री **गणेशाराम** जाति **गुर्जर** निवासी **थली** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/16/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **9/26/2012** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामजीलाल** की मृत्यु दिनांक **12/16/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामजीलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-45**/3646–3652 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामजीलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **डोडी देवी,[illegible]राम, मनीराम,रणवीर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामजीलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **थली** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-458/3653 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 MMM** का मु0 संख्या **49/51** रकबा **25.00** श्री **मनीलाल** पुत्रश्री **मंगाराम** जाति **जाट** निवासी **कासीमपुरा** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/6/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मनीलाल** की मृत्यु दिनांक **2/6/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मनीलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-458**/3654–3660 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मनीलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **इन्द्रा देवी, भी ाराम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मनीलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **कासीमपुरा** तहसील **झुंझुंनू** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-366/3661 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1-4 DGM-II** का मु0 संख्या **211/01** रकबा **22.25** श्री **दूलसिंह** पुत्रश्री **मगनसिह** जाति **राजपूत** निवासी **अगवाकला** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/21/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दूलसिंह** की मृत्यु दिनांक **7/21/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दूलसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-366**/3662–3668 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दूलसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **गोविंद सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दूलसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **अगवाकला** तहसील **चिडावा** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-42/3669 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **7 MMM** का मु0 संख्या **46/63** रकबा **20.75** श्री **धर्मपाल** पुत्रश्री **गणेशाराम** जाति **जाट** निवासी **मेहराणा** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/2/2006** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **5/1/2013** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धर्मपाल** की मृत्यु दिनांक **11/2/2006** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धर्मपाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-42**/3670–3676 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झुंझुंनू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धर्मपाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मातली देवी, विजय सिंह, राजे ा कुमार** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धर्मपाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मेहराणा** तहसील **खेतडी** जिला **झुंझुंनू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-172/3677 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **10-11 BNJ** का मु0 संख्या **74/42** रकबा **25.00** श्री **ईशरराम** पुत्रश्री **मगनाराम** जाति **जाट** निवासी **भडून्दाकला** तहसील **झूझनूं** जिला **झूझनूं** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/1/2007** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/22/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ईशरराम** की मृत्यु दिनांक **6/1/2007** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ईशरराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-172**/3678–3684 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झूझनूं** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ईशरराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **चावली देवी,रामजीलाल,राजेन्द्र** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ईशरराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भडून्दाकला** तहसील **झूझनूं** जिला **झूझनूं** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-269/3685 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **77 SD** का मु0 संख्या **38/38** रकबा **24.25** श्री **लेखराम** पुत्रश्री **लादूराम** जाति **जाट** निवासी **विरोल** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झूझनूं** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/8/1993** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **3/12/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लेखराम** की मृत्यु दिनांक **1/8/1993** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लेखराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-269**/3686–3692 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झूझनूं** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लेखराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सरदार सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लेखराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **विरोल** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झूझनूं** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-214/3693 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **44 CWB** का मु0 संख्या **49/5** रकबा **24.25** श्री **मालाराम** पुत्रश्री **सुरजाराम** जाति **जाट** निवासी **इन्द्रपुरा** तहसील **मलसीसर** जिला **झूझनूं** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/23/2017** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **3/12/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालाराम** की मृत्यु दिनांक **5/23/2017** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-214**/3694–3700 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झूझनूं** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **बलवीर सुभाश वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **इन्द्रपुरा** तहसील **मलसीसर** जिला **झूझनूं** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-303/3701 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **1 BNJ** का मु0 संख्या **178/53** रकबा **25.00** श्री **सरदारा** पुत्रश्री **रामनारायण** जाति **जाट** निवासी **बडवर** तहसील **खेतडी हाल बुहाना** जिला **झूझनूं** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/26/2007** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारा** की मृत्यु दिनांक **1/26/2007** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारा** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-303**/3702–3708 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झूझनूं** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारा** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **अमर सिंह, प्रभुराम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारा** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बडवर** तहसील **खेतडी हाल बुहाना** जिला **झूझनूं** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-505/3709 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **6 PWM** का मु0 संख्या **186/28** रकबा **13.00** श्री **सरदारसिंह** पुत्रश्री **मगसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **भोमिया जी मंदिर के पास वार्ड न0 7 डाबडीधीरसिंह** तहसील **झूंझनूं** जिला **झूंझनूं** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/18/1987** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/22/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारसिंह** की मृत्यु दिनांक **7/18/1987** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-505**/3710–3716 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झूंझनूं** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **महेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भोमिया जी मंदिर के पास वार्ड न0 7 डाबडीधीरसिंह** तहसील **झूंझनूं** जिला **झूंझनूं** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-489/3717 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **112-113 SLD** का मु0 संख्या **174/50** रकबा **24.25** श्री **रामदेवाराम** पुत्रश्री **सुखराम** जाति **बारी** निवासी **डाबडीधीरसिंह** तहसील **झूंझनूं** जिला **झूँझनूँ** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/24/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/22/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामदेवाराम** की मृत्यु दिनांक **9/24/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामदेवाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-489**/3718–3724 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झूँझनूँ** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामदेवाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **ग्यारसी देवी, ि ा पाल सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामदेवाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **डाबडीधीरसिंह** तहसील **झूंझनूं** जिला **झूँझनूँ** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-110/3725 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **1 BGM** का मु0 संख्या **239/48** रकबा **25.00** श्री **शहजादसिंह** पुत्रश्री **गणपतसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **जयपहाडी** तहसील **झूझनूं** जिला **झूँझनूँ** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/18/2005** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **2/12/2015** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शहजादसिंह** की मृत्यु दिनांक **9/18/2005** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शहजादसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-110**/3726–3732 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झूँझनूँ** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शहजादसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **अंतर कंवर, ओम सिंह, ंभू सिंह, सरोज कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शहजादसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **जयपहाडी** तहसील **झूझनूं** जिला **झूँझनूँ** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-274/3733 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **14 MKM-ll** का मु0 संख्या **28/30** रकबा **25.00** श्री **भीमाराम** पुत्रश्री **जीवणराम** जाति **जाट** निवासी **विरोल** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झूँझनूँ** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/2/2012** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/3/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भीमाराम** की मृत्यु दिनांक **6/2/2012** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भीमाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-274**/3734–3740 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झूँझनूँ** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भीमाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सोनी देवी,सुखदेवी, रामचन्द्र, रतन कौर, प्रहलाद राम, इमरता** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भीमाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **विरोल** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झूँझनूँ** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-189/3741 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **7 KJM** का मु0 संख्या **02/28** रकबा **22.25** श्री **लखूसिंह** पुत्रश्री **लाादूराम** जाति **जाट** निवासी **बडा गांव** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झूँझनूँ** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/9/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/3/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लखूसिंह** की मृत्यु दिनांक **5/9/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लखूसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-189**/3742–3748 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झूँझनूँ** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लखूसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **दरियाव कंवर,गुलाब सिंह, उदय सिंह, श्रवण सिंह, कमल कवंर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लखूसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बडा गांव** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झूँझनूँ** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-345/3749 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **12 JWM-A** का मु0 संख्या **206/32** रकबा **25.00** श्री **नागर** पुत्रश्री **नानकराम** जाति **हरिजन** निवासी **उदयपुरवाटी** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झूँझनूँ** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/28/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/1/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नागर** की मृत्यु दिनांक **1/28/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नागर** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-345**/3750–3756 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झूँझनूँ** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नागर** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **जमना देवी,कि ानलाल,महेन्द्र कुमार** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नागर** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **उदयपुरवाटी** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झूँझनूँ** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-49/3757 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **15 DWM** का मु0 संख्या **88/63** रकबा **24.25** श्री **नंदलाल** पुत्रश्री **किशनलाल** जाति **जाट** निवासी **गौरीर** तहसील **खेतडी** जिला **झूँझनूँ** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/12/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नंदलाल** की मृत्यु दिनांक **11/12/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नंदलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-49**/3758–3764 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झूँझनूँ** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नंदलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **पता ी देवी,रणवीर, जितेन्द्र, वीरेन्द्र, सुनीता** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नंदलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गौरीर** तहसील **खेतडी** जिला **झूँझनूँ** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-344/3765 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ–1** जिला जैसलमेर के चक **6 MMM** का मु0 संख्या **48/21** रकबा **25.00** श्री **मूलचन्द** पुत्रश्री **हरनारायण** जाति **जाट** निवासी **गौरीर** तहसील **खेतडी** जिला **झूँझनूँ** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/4/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलचन्द** की मृत्यु दिनांक **2/4/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलचन्द** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-344**/3766–3772 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झूँझनूँ** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलचन्द** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **महे ा, संतोश** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलचन्द** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गौरीर** तहसील **खेतडी** जिला **झूँझनूँ** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-360/3773 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **6 SBS** का मु0 संख्या **55/38** रकबा **21.25** श्री **प्रहलादसिंह** पुत्रश्री **खेमाराम** जाति **जाट** निवासी **रामपुर जाटान** तहसील **खेतडी** जिला **झूँझनूँ** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/3/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रहलादसिंह** की मृत्यु दिनांक **5/3/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रहलादसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-360**/3774–3780 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झूँझनूँ** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रहलादसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **जड़ायी देवी, हवा सिंह, जय सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रहलादसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **रामपुर जाटान** तहसील **खेतडी** जिला **झूँझनूँ** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-140/3781 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **2-4 DDM** का मु0 संख्या **138/2** रकबा **24.25** श्री **भूरसिंह** पुत्रश्री **बुद्धाराम** जाति **जाट** निवासी **पचेरी छोटी** तहसील **खेतडी** जिला **झूँझनूँ** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/2/1993** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भूरसिंह** की मृत्यु दिनांक **8/2/1993** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भूरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-140**/3782–3788 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झूँझनूँ** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भूरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **गींदो देवी, राजे ा कुमार, राके ा कुमार** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भूरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **पचेरी छोटी** तहसील **खेतडी** जिला **झूँझनूँ** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-308/3789 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ–2** जिला जैसलमेर के चक **2 GWM** का मु0 संख्या **87/50** रकबा **24.25** श्री **जूथाराम** पुत्रश्री **कन्हीराम** जाति **जाट** निवासी **झारोडा** तहसील **खेतडी** जिला **झूँझनूँ** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/19/2014** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जूथाराम** की मृत्यु दिनांक **12/19/2014** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जूथाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-308**/3790–3796 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झूँझनूँ** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जूथाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **(पत्रावली पर उपलब्ध नहीं)** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जूथाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **झारोडा** तहसील **खेतडी** जिला **झूँझनूँ** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-56/3797 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **6 MKM-II** का मु0 संख्या **88/54** रकबा **25.00** श्री **नत्थू सिंह** पुत्रश्री **बचन सिंह** जाति **राजपूत** निवासी **गुड़ा** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झूझनूं** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/15/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/3/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नत्थू सिंह** की मृत्यु दिनांक **6/15/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नत्थू सिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-56**/3798–3804 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **झूझनूं** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नत्थू सिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सोहन कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नत्थू सिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गुड़ा** तहसील **उदयपुरवाटी** जिला **झूझनूं** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-5/3805 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ–1** जिला जैसलमेर के चक **7 RYM** का मु0 संख्या **148/43** रकबा **25.00** श्री **मोहेन्द्रसिंह** पुत्रश्री **वधावासिंह** जाति **सिख** निवासी **ताथेड** तहसील **लाडपुरा** जिला **कोटा** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/10/1988** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/24/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मोहेन्द्रसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/10/1988** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मोहेन्द्रसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-5**/3806–3812 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **कोटा** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मोहेन्द्रसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सुरेन्द्र कौर, कुलवींदर कौर, जसवींदर कौर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मोहेन्द्रसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **ताथेड** तहसील **लाडपुरा** जिला **कोटा** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-2/3813 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1-2 DVM** का मु0 संख्या **218/27** रकबा **20.25** श्री **तेजासिंह पुत्र** पुत्रश्री **गुरूचरण सिंह** जाति **सिख** निवासी **दादवाडी** तहसील **लाडपुरा** जिला **कोटा** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/27/1986** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **10/8/2010** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **तेजासिंह पुत्र** की मृत्यु दिनांक **5/27/1986** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **तेजासिंह पुत्र** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-2**/3814–3820 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **कोटा** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **तेजासिंह पुत्र** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सत्येन्द्रवीर सिंह, तेजेन्द्र सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **तेजासिंह पुत्र** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **दादवाडी** तहसील **लाडपुरा** जिला **कोटा** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-42/3821 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1 KRSM** का मु0 संख्या **21/50** रकबा **15.00** श्री **सदीक मोहम्मद** पुत्रश्री **नूर मोहम्मद** जाति **मुसलमान** निवासी **भनाई** तहसील **भादरा** जिला **हनुमानगढ** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/14/2012** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/16/2015** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सदीक मोहम्मद** की मृत्यु दिनांक **8/14/2012** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सदीक मोहम्मद** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-42**/3822–3828 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **हनुमानगढ** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सदीक मोहम्मद** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मोहम्मद असलम,न ीम बानो** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सदीक मोहम्मद** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भनाई** तहसील **भादरा** जिला **हनुमानगढ** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-33/3829 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **51 CWB** का मु0 संख्या **09/26** रकबा **12.00** श्री **चन्दूराम** पुत्रश्री **जीराम** जाति **जाट** निवासी **भीरानी** तहसील **भादरा** जिला **हनुमानगढ** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/7/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **10/3/2008** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चन्दूराम** की मृत्यु दिनांक **11/7/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चन्दूराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-33**/3830–3836 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **हनुमानगढ** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चन्दूराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **जगदी I, भांकरलाल वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चन्दूराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भीरानी** तहसील **भादरा** जिला **हनुमानगढ** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-441/3837 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **3 DWM** का मु0 संख्या **151/61** रकबा **10.00** श्री **भागीरथ** पुत्रश्री **गंगाराम** जाति **जाट** निवासी **निनाण** तहसील **भादरा** जिला **हनुमानगढ** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/30/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **10/3/2008** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भागीरथ** की मृत्यु दिनांक **9/30/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भागीरथ** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-441**/3838–3844 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **हनुमानगढ** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भागीरथ** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **धनपतराम,जमनाराम** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भागीरथ** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **निनाण** तहसील **भादरा** जिला **हनुमानगढ** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-378/3845 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **19-20 SLD** का मु0 संख्या **90/41** रकबा **25.00** श्री **सुल्तान सिंह** पुत्रश्री **जीराम** जाति **जाट** निवासी **गढडा** तहसील **भादरा** जिला **हनुमानगढ** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/10/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **10/3/2008** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुल्तान सिंह** की मृत्यु दिनांक **3/10/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुल्तान सिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-378**/3846–3852 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **हनुमानगढ** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुल्तान सिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सजना देवी, घडसीराम, वि ाल सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुल्तान सिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गढडा** तहसील **भादरा** जिला **हनुमानगढ** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-93/3853 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **69 SLD** का मु0 संख्या **21/33** रकबा **24.20** श्री **गजनसिंह** पुत्रश्री **खेतसिंह** जाति **जटसिख** निवासी **टिब्बी** तहसील **हनुमानगढ** जिला **हनुमानगढ** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/22/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गजनसिंह** की मृत्यु दिनांक **9/22/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गजनसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-93**/3854–3860 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **हनुमानगढ** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गजनसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सरजीत कौर, बूटा सिंह, जगरूप सिंह वगैर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गजनसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **टिब्बी** तहसील **हनुमानगढ** जिला **हनुमानगढ** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-5/3861 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 MMM** का मु0 संख्या **69/01** रकबा **25.00** श्री **भगवान सिंह** पुत्रश्री **मुरलीसिंह** जाति **सैनी** निवासी **नगर** तहसील **नगर** जिला **भरतपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/28/1989** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **10/8/2008** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवान सिंह** की मृत्यु दिनांक **12/28/1989** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवान सिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-5**/3862–3868 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **भरतपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवान सिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **राम सिंह,विक्रम सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवान सिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **नगर** तहसील **नगर** जिला **भरतपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-8/3869 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **3 BHTM** का मु0 संख्या **221/13** रकबा **25.00** श्री **अमरसिंह** पुत्रश्री **रामहेत** जाति **गुर्जर** निवासी **बिलोडी** तहसील **भरतपुर** जिला **भरतपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/1/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमरसिंह** की मृत्यु दिनांक **11/1/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-8**/3870–3876 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **भरतपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **चन्द्रावती** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बिलोडी** तहसील **भरतपुर** जिला **भरतपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-1/3877 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **11 MKM-II** का मु0 संख्या **48/17** रकबा **25.00** श्री **समुन्द्र सिंह** पुत्रश्री **रामसर** जाति **जाट** निवासी **खेरलीगढसीया** तहसील **बयाना** जिला **भरतपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/1/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **समुन्द्र सिंह** की मृत्यु दिनांक **1/1/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **समुन्द्र सिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-1**/3878–3884 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **भरतपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **समुन्द्र सिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भयामवती** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **समुन्द्र सिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **खेरलीगढसीया** तहसील **बयाना** जिला **भरतपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-102/3885 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **9-11 NM** का मु0 संख्या **32/33** रकबा **12.00** श्री **बुटासिंह** पुत्रश्री **बहादुरसिंह** जाति **मजबी हरिजन** निवासी **8 क्यू, दौलतपूरा** तहसील **श्रीगंगानगर** जिला **श्रीगंगानगर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/17/1987** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/24/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बुटासिंह** की मृत्यु दिनांक **6/17/1987** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बुटासिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-102**/3886–3892 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **श्रीगंगानगर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बुटासिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **महेन्द्र सिंह, लखा सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बुटासिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **8 क्यू, दौलतपूरा** तहसील **श्रीगंगानगर** जिला **श्रीगंगानगर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-77/3893 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **4 BTSM** का मु0 संख्या **238/55** रकबा **10.00** श्री **अर्जुनसिंह** पुत्रश्री **बचनसिंह** जाति **जटसिख** निवासी **22 एम एल डी** तहसील **घडसाना** जिला **श्रीगंगानगर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/8/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **3/11/2015** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अर्जुनसिंह** की मृत्यु दिनांक **3/8/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अर्जुनसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-77**/3894–3900 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **श्रीगंगानगर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अर्जुनसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मलकित कौर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अर्जुनसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **22 एम एल डी** तहसील **घडसाना** जिला **श्रीगंगानगर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-328/3901 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **3 DWM** का मु0 संख्या **151/23** रकबा **14.50** श्री **हरदयालराम** पुत्रश्री **सरदाराराम** जाति **जाट** निवासी **भागवा** तहसील **पदमपुर** जिला **श्रीगंगानगर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/5/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरदयालराम** की मृत्यु दिनांक **8/5/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरदयालराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-328**/3902–3908 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **श्रीगंगानगर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरदयालराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **कुरडाराम, हरिसिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरदयालराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भागवा** तहसील **पदमपुर** जिला **श्रीगंगानगर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-51/3909 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1-2 DVM** का मु0 संख्या **217/34** रकबा **25.00** श्री **पालासिंह** पुत्रश्री **झण्डासिंह** जाति **रायसिख** निवासी **पक्की** तहसील **श्रीगंगानगर** जिला **श्रीगंगानगर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/6/1991** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पालासिंह** की मृत्यु दिनांक **2/6/1991** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पालासिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-51**/3910–3916 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **श्रीगंगानगर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पालासिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **महेन्द्र कौर,गुरदीप सिंह, जगदी ा सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पालासिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **पक्की** तहसील **श्रीगंगानगर** जिला **श्रीगंगानगर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-203/3917 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **1 SM** का मु0 संख्या **229/32** रकबा **11.00** श्री **भगवानाराम** पुत्रश्री **रूपाराम** जाति **जाट** निवासी **भिरानी** तहसील **श्रीगंगानगर** जिला **श्रीगंगानगर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/18/1994** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानाराम** की मृत्यु दिनांक **10/18/1994** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-203**/3918–3924 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **श्रीगंगानगर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **धापा देवी, बिरबल राम, सरजीत वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भिरानी** तहसील **श्रीगंगानगर** जिला **श्रीगंगानगर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-29/3925 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **8 M2M** का मु0 संख्या **64/33** रकबा **25.00** श्री **जसंवतसिंह** पुत्रश्री **जबलसिंह** जाति **जटसिख** निवासी **ढाबा** तहसील **संगरिया** जिला **हनुमानगढ़** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/7/2011** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **6/18/2012** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जसंवतसिंह** की मृत्यु दिनांक **10/7/2011** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जसंवतसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-29**/3926–3932 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **हनुमानगढ़** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जसंवतसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **गुरूपाल सिंह, वीरपाल कौर वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जसंवतसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **ढाबा** तहसील **संगरिया** जिला **हनुमानगढ़** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 225/3933 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **4 RRM** का मु0 संख्या **236/27** रकबा **10.00** श्री **श्योलाल** पुत्रश्री **सुख्राम** जाति **जाट** निवासी **चूनावड** तहसील **गंगानगर** जिला **गंगानगर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/5/2013** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योलाल** की मृत्यु दिनांक **7/5/2013** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 225**/3934–3940 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **गंगानगर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रणवीर सिंह, राजकुमार वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चूनावड** तहसील **गंगानगर** जिला **गंगानगर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 257/3941 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **9 MKM-II** का मु0 संख्या **49/57** रकबा **20.95** श्री **गोविन्दराम** पुत्रश्री **बेगाराम** जाति **जाट** निवासी **चेलासी** तहसील **सीकर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/13/2011** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोविन्दराम** की मृत्यु दिनांक **1/13/2011** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोविन्दराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 257**/3942–3948 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोविन्दराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रामपाल, गोमती देवी वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोविन्दराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चेलासी** तहसील **सीकर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 259/3949 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **27 JJW** का मु0 संख्या **05/46** रकबा **13.00** श्री **छोंगसिंह** पुत्रश्री **खोगरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **पिपराली** तहसील **सीकर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/19/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छोंगसिंह** की मृत्यु दिनांक **7/19/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छोंगसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 259**/3950–3956 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छोंगसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **देवी सिंह, भागीरथ सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छोंगसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **पिपराली** तहसील **सीकर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 93/3957 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **12 MKD** का मु0 संख्या **168/25** रकबा **25.00** श्री **रूडाराम** पुत्रश्री **उदाराम** जाति **बलाई** निवासी **बाजोर** तहसील **सीकर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/23/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रूडाराम** की मृत्यु दिनांक **2/23/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रूडाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 93**/3958–3964 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रूडाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रामलाल, भांति देवी वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रूडाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बाजोर** तहसील **सीकर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-245/3965 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ न0 2** जिला जैसलमेर के चक **1 NYM** का मु0 संख्या **170/37 170/38** रकबा **14.80** श्री **गोमाराम** पुत्रश्री **पदमाराम** जाति **जाट** निवासी **गणे ापुरा** तहसील **सीकर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/14/1905** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **5/21/1999** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोमाराम** की मृत्यु दिनांक **6/14/1905** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोमाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-245**/3966–3972 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोमाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **पता ी, बोदूराम, मोहन राम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोमाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गणे ापुरा** तहसील **सीकर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-228/3973 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **11 LKM-B** का मु0 संख्या **84/57** रकबा **13.00** श्री **मानसिंह** पुत्रश्री **गोदसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **कॅवरपुरा** तहसील **सीकर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/9/2005** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **3/12/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मानसिंह** की मृत्यु दिनांक **8/9/2005** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मानसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-228**/3974–3980 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मानसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सायर कंवर, दातारा सिंह, भागीरथ सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मानसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **कॅवरपुरा** तहसील **सीकर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 96/3981 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **6 MD** का मु0 संख्या **60/38** रकबा **25.00** श्री **मूलचंद** पुत्रश्री **भीमसिंह** जाति **जाट** निवासी **सिरोही** तहसील **नीम का थाना** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/14/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **3/11/2015** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलचंद** की मृत्यु दिनांक **4/14/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलचंद** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 96**/3982–3988 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलचंद** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **जूम्मा देवी, भयोकरण वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलचंद** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सिरोही** तहसील **नीम का थाना** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-55/3989 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **5 M2M** का मु0 संख्या **83/35** रकबा **24.25** श्री **लालसिंह** पुत्रश्री **औमसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **भिराना** तहसील **दातारामगढ** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/25/1991** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **3/12/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लालसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/25/1991** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लालसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-55**/3990–3996 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लालसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **छिगन कंवर, नरेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लालसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भिराना** तहसील **दातारामगढ** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-12/3997 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ़ न0 1** जिला जैसलमेर के चक **43 BD** का मु0 संख्या **96/17** रकबा **24.25** श्री **जतनसिंह** पुत्रश्री **भंवरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **रानोली** तहसील **दातारामगढ़** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/25/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जतनसिंह** की मृत्यु दिनांक **10/25/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जतनसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-12**/3998–4004 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जतनसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **अगर कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जतनसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **रानोली** तहसील **दातारामगढ़** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 18/4005 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **7 KJM** का मु0 संख्या **02/34** रकबा **24.25** श्री **लक्ष्मणराम** पुत्रश्री **किशनाराम** जाति **मीणा** निवासी **हरिपुरा** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/23/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **3/12/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लक्ष्मणराम** की मृत्यु दिनांक **5/23/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लक्ष्मणराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 18**/4006–4012 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लक्ष्मणराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **फूलीदेवी, भैरूंलाल, भगतराम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लक्ष्मणराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हरिपुरा** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 20/4013 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 M2M (B)** का मु0 संख्या **81/63** रकबा **23.00** श्री **पूर्णसिंह** पुत्रश्री **जेतसिह** जाति **राजपूत** निवासी **पृथ्वीपुरा** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/1/1988** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **3/12/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पूर्णसिंह** की मृत्यु दिनांक **8/1/1988** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पूर्णसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 20**/4014–4020 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पूर्णसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **अनोप कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पूर्णसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **पृथ्वीपुरा** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-195/4021 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **2 SM** का मु0 संख्या **231/20** रकबा **22.75** श्री **सुमेरसिंह** पुत्रश्री **मूलसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **माउ** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/19/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **3/12/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुमेरसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/19/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुमेरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-195**/4022–4028 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुमेरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **गुलाब सिंह, भवानी सिंह, सोहन सिंह,मोहन सिंह,** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुमेरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **माउ** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 190/4029 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **8 QLM** का मु0 संख्या **33/37** रकबा **25.00** श्री **दुर्जनसिंह** पुत्रश्री **पेपसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **जालपाली** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/3/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **3/12/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दुर्जनसिंह** की मृत्यु दिनांक **5/3/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दुर्जनसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 190**/4030–4036 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दुर्जनसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **लक्ष्मी कंवर, महेन्द्र सिंह, चेन सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दुर्जनसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **जालपाली** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-106/4037 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **14 MKD** का मु0 संख्या **187/12** रकबा **25.00** श्री **बद्रीसिंह** पुत्रश्री **गोपीनाथ** जाति **राजपूत** निवासी **आमावास** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/23/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/24/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बद्रीसिंह** की मृत्यु दिनांक **5/23/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बद्रीसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-106**/4038–4044 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बद्रीसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भांकर सिंह, सायर सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बद्रीसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **आमावास** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 52/4045 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **4 BRM** का मु0 संख्या **02/22** रकबा **24.25** श्री **हनुमानाराम** पुत्रश्री **फूसाराम** जाति **जाट** निवासी **बिराणिया** तहसील **फतेहपुर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/23/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/24/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानाराम** की मृत्यु दिनांक **4/23/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 52**/4046–4052 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **देवकरण, महावीर प्रसाद वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बिराणिया** तहसील **फतेहपुर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 47/4053 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **8 GTM** का मु0 संख्या **188/26** रकबा **25.00** श्री **नारायणराम** पुत्रश्री **मेवाराम** जाति **जाट** निवासी **जालेउ** तहसील **फतेहपुर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/19/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/24/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नारायणराम** की मृत्यु दिनांक **12/19/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नारायणराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 47**/4054–4060 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नारायणराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **श्रीमती भागीदेवी, राजवीर सिंह, हरलाल सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नारायणराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **जालेउ** तहसील **फतेहपुर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 156/4061 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **58 SD** का मु0 संख्या **160/51** रकबा **25.00** श्री **दिलदारखॉ** पुत्रश्री **बरकतअली** जाति **शेख** निवासी **सखडी** तहसील **सीकर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/1/2006** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **3/11/2015** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दिलदारखॉ** की मृत्यु दिनांक **6/1/2006** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दिलदारखॉ** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 156**/4062–4068 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दिलदारखॉ** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **जुबेदा, अनवर अली, सिंकदर अली वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दिलदारखॉ** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सखडी** तहसील **सीकर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 151/4069 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **14 SDY** का मु0 संख्या **192/60** रकबा **24.50** श्री **मूलसिंह** पुत्रश्री **मुखसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **गोरधनपुरा** तहसील **नीम का थाना** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/1/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **3/11/2015** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलसिंह** की मृत्यु दिनांक **11/1/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 151**/4070–4076 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **प्र न कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गोरधनपुरा** तहसील **नीम का थाना** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-175/4077 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **4 JKM** का मु0 संख्या **77/27** रकबा **25.00** श्री **पीथसिंह** पुत्रश्री **गोपालसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **मीन्रडा** तहसील **लक्ष्मणगढ** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/10/2007** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **3/11/2015** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पीथसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/10/2007** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पीथसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-175**/4078–4084 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पीथसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **राजेन्द्र सिंह, कल्याण सिंह, बक्सु सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पीथसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मीन्रडा** तहसील **लक्ष्मणगढ** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-173/4085 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **79-82 SLD** का मु0 संख्या **78/46** रकबा **25.00** श्री **हनुमानसिंह** पुत्रश्री **हरिसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **पारोडा** तहसील **लक्ष्मणगढ** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/25/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** की मृत्यु दिनांक **2/25/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-173**/4086–4092 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मोहन कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **पारोडा** तहसील **लक्ष्मणगढ** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-139/4093 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **8 NM** का मु0 संख्या **16/02** रकबा **23.50** श्री **गोपालसिंह** पुत्रश्री **रेवंतसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **जीरावरनगर** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/1/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोपालसिंह** की मृत्यु दिनांक **6/1/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोपालसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-139**/4094–4100 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोपालसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रसाल कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोपालसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **जीरावरनगर** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-94/4101 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **80 SD** का मु0 संख्या **76/17** रकबा **22.25** श्री **गोकुलसिंह** पुत्रश्री **हनुमानसिंह** जाति निवासी **भारिजा** तहसील **दातारामगढ** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/30/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोकुलसिंह** की मृत्यु दिनांक **12/30/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोकुलसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-94**/4102–4108 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोकुलसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सिरे कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोकुलसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भारिजा** तहसील **दातारामगढ** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-16/4109 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 BTSM** का मु0 संख्या **58/4** रकबा **9.00** श्री **उदयसिंह** पुत्रश्री **सबलसिंह** जाति निवासी **भाखरवाली** तहसील **फतेहपुर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/20/1994** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उदयसिंह** की मृत्यु दिनांक **10/20/1994** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उदयसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-16**/4110–4116 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उदयसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **इन्द्र कंवर, कुंदन सिंह, भागीरथ सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उदयसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भाखरवाली** तहसील **फतेहपुर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-124/4117 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **5 BNJ** का मु0 संख्या **16/44** रकबा **25.00** श्री **नन्दसिंह** पुत्रश्री **सबलसिंह** जाति निवासी **फदनपुरा** तहसील **फतेहपुर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/28/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नन्दसिंह** की मृत्यु दिनांक **8/28/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नन्दसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-124**/4118–4124 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नन्दसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सोहन कंवर, भंवरसिंह, राजूसिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नन्दसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **फदनपुरा** तहसील **फतेहपुर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-148/4125 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **13 NM** का मु0 संख्या **31/05** रकबा **12.25** श्री **बदनसिंह** पुत्रश्री **अनेसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **गोरधनपुरा** तहसील **नीमकाथाना** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/6/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बदनसिंह** की मृत्यु दिनांक **8/6/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बदनसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-148**/4126–4132 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बदनसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **बर्फी कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बदनसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गोरधनपुरा** तहसील **नीमकाथाना** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-110/4133 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **77 SD-A** का मु0 संख्या **37/48** रकबा **25.00** श्री **खेमाराम** पुत्रश्री **गणेशाराम** जाति **जाट** निवासी **लालासी** तहसील **लक्ष्मणगढ** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/8/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खेमाराम** की मृत्यु दिनांक **1/8/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खेमाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-110**/4134–4140 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खेमाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भांति देवी, राजेन्द्र प्रसाद, प्रेमसुख वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खेमाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **लालासी** तहसील **लक्ष्मणगढ** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-1/4141 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **13-15 DGM-II** का मु0 संख्या **150/52** रकबा **24.00** श्री **किशोरसिंह** पुत्रश्री **छतूसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **खुर्दतन रलावता** तहसील **दातारामगढ** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/8/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किशोरसिंह** की मृत्यु दिनांक **9/8/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किशोरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-1**/4142–4148 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किशोरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **गुलाब कंवर,राजू सिंह, गज्जू सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किशोरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **खुर्दतन रलावता** तहसील **दातारामगढ** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-267/4149 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **68 SD** का मु0 संख्या **238/50** रकबा **24.25** श्री **योंजीराम** पुत्रश्री **गोपालराम** जाति **जाट** निवासी **रसीदपुरा** तहसील **सीकर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/16/2006** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **योंजीराम** की मृत्यु दिनांक **3/16/2006** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **योंजीराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-267**/4150–4156 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **योंजीराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **दडगी देवी, रामचंद्र, प्रका I, दानाराम** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **योंजीराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **रसीदपुरा** तहसील **सीकर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-106/4157 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 NJM** का मु0 संख्या **109/18** रकबा **24.25** श्री **सायरसिंह** पुत्रश्री **बचनसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **त्रिलोकपुरा** तहसील **दातारामगढ** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/8/1905** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सायरसिंह** की मृत्यु दिनांक **6/8/1905** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सायरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-106**/4158–4164 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सायरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **दातार सिंह, कुलदीप सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सायरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **त्रिलोकपुरा** तहसील **दातारामगढ** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-40/4165 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 GWM** का मु0 संख्या **87/38** रकबा **24.25** श्री **बद्रीराम** पुत्रश्री **गोविन्दसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **दिवराला** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/7/1987** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बद्रीराम** की मृत्यु दिनांक **1/7/1987** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बद्रीराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-40**/4166–4172 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बद्रीराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **श्रीमती वल्लब कंवर, भयामकरण सिंह, संग्राम सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बद्रीराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **दिवराला** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-67/4173 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **3 SM** का मु0 संख्या **11/35** रकबा **24.25** श्री **मूलसिंह** पुत्रश्री **देवीसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **खण्डेलसर** तहसील **दातारामगढ** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/5/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलसिंह** की मृत्यु दिनांक **4/5/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-67**/4174–4180 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सदा कंवर,रायसल सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **खण्डेलसर** तहसील **दातारामगढ** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-91/4181 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **3 SBS** का मु0 संख्या **56/29** रकबा **25.00** श्री **सज्जनसिंह** पुत्रश्री **जोरावरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **भारीजा** तहसील **दातारामगढ** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/2/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सज्जनसिंह** की मृत्यु दिनांक **8/2/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सज्जनसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-91**/4182–4188 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सज्जनसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भांति कंवर, उम्मेद सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सज्जनसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भारीजा** तहसील **दातारामगढ** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-100/4189 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **3-4 RWM** का मु0 संख्या **104/62** रकबा **25.00** श्री **रिद्धसिंह** पुत्रश्री **गणपतसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **सांगलिया** तहसील **दातारामगढ** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/15/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रिद्धसिंह** की मृत्यु दिनांक **11/15/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रिद्धसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-100**/4190–4196 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रिद्धसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **गोपाल कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रिद्धसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सांगलिया** तहसील **दातारामगढ** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-137/4197 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **7-9 AJM** का मु0 संख्या **131/48** रकबा **20.40** श्री **अनोपसिंह** पुत्रश्री **जलसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **आसपूरा** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/10/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अनोपसिंह** की मृत्यु दिनांक **5/10/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अनोपसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-137**/4198–4204 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अनोपसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **अचरज कंवर, नरपत सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अनोपसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **आसपूरा** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-193/4205 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **7 DDM** का मु0 संख्या **116/59** रकबा **25.00** श्री **प्रेमसिह** पुत्रश्री **सुगनसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **नागल** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/15/1994** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रेमसिह** की मृत्यु दिनांक **12/15/1994** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रेमसिह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-193**/4206–4212 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रेमसिह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **अनूप कंवर, रामावतार सिंह, महेन्द्र सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रेमसिह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **नागल** तहसील **श्रीमाधोपुर** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-83/4213 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **2 NM** का मु0 संख्या **234/22** रकबा **24.25** श्री **हनुमानसिंह** पुत्रश्री **गणपतसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **आगवाडी** तहसील **नीमकाथाना** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/30/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** की मृत्यु दिनांक **4/30/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-83**/4214–4220 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मगेज कंवर, दिलीप सिंह, रोहिता I सिह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **आगवाडी** तहसील **नीमकाथाना** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-74/4221 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **8 MD** का मु0 संख्या **41/10** रकबा **25.00** श्री **समुंदरसिंह** पुत्रश्री **फूलसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **नाथा की नांगल** तहसील **नीमकाथाना** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/8/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **समुंदरसिंह** की मृत्यु दिनांक **5/8/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **समुंदरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-74**/4222–4228 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **समुंदरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **राजेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **समुंदरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **नाथा की नांगल** तहसील **नीमकाथाना** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-734/4229 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1 BLM** का मु0 संख्या **54/49** रकबा **25.00** श्री **फूलसिंह** पुत्रश्री **अमृतराम** जाति **जाट** निवासी **भाकरा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/5/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **फूलसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/5/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **फूलसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-734**/4230–4236 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **फूलसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रामप्यारी,मनोज, मुके I,सतवीर सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **फूलसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भाकरा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-16/4237 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **14 MKD** का मु0 संख्या **168/41** रकबा **25.00** श्री **खेताराम** पुत्रश्री **मोबाराम** जाति **गुर्जर** निवासी **भगेडा** तहसील **नीमकाथाना** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/6/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खेताराम** की मृत्यु दिनांक **9/6/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खेताराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-16**/4238–4244 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खेताराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मनभरी देवी, मीना देवी वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खेताराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भगेडा** तहसील **नीमकाथाना** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-64/4245 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 BWM** का मु0 संख्या **32/23** रकबा **18.40** श्री **किशोरसिंह** पुत्रश्री **गंगासिंह** जाति **राजपूत** निवासी **भनौडा** तहसील **दातारामगढ** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/22/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किशोरसिंह** की मृत्यु दिनांक **2/22/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किशोरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-64**/4246–4252 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किशोरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रसाल कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किशोरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भनौडा** तहसील **दातारामगढ** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-08/4253 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **8 MD** का मु0 संख्या **21/38** रकबा **24.25** श्री **मूलसिंह** पुत्रश्री **हरिसिंह** जाति **दरोगा** निवासी **जलमारा** तहसील **लक्ष्मणगढ** जिला **सीकर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/8/1991** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **1/3/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलसिंह** की मृत्यु दिनांक **8/8/1991** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-08**/4254–4260 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **श्रवण सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **जलमारा** तहसील **लक्ष्मणगढ** जिला **सीकर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-22/4261 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **3 JJW** का मु0 संख्या **114/56** रकबा **24.25** श्री **रामसहाय** पुत्रश्री **जवानसिंह** जाति **गुर्जर** निवासी **नयागावं** तहसील **टोडाभीम** जिला **सवाई माधोपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/6/1994** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **10/3/2008** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामसहाय** की मृत्यु दिनांक **1/6/1994** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामसहाय** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-22**/4262–4268 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सवाई माधोपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामसहाय** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रूमाली देवी, राजेन्द्र सिंह, ि ाला वगैरा** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामसहाय** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **नयागावं** तहसील **टोडाभीम** जिला **सवाई माधोपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-28/4269 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **5 DDM** का मु0 संख्या **117/23** रकबा **24.25** श्री **चिरंजीलाल** पुत्रश्री **लालाराम** जाति **गुर्जर** निवासी **केमरी** तहसील **नादौती** जिला **सवाई माधोपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/8/1987** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चिरंजीलाल** की मृत्यु दिनांक **7/8/1987** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चिरंजीलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-28**/4270–4276 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सवाई माधोपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चिरंजीलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रतन सिंह, ज्ञान सिंह, यादराम** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चिरंजीलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **केमरी** तहसील **नादौती** जिला **सवाई माधोपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-24/4277 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **69 SLD** का मु0 संख्या **21/18** रकबा **22.25** श्री **श्रीरामसिंह** पुत्रश्री **रामहंस** जाति **गुर्जर** निवासी **केमरी** तहसील **नादौती** जिला **सवाई माधोपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/7/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीरामसिंह** की मृत्यु दिनांक **10/7/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीरामसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-24**/4278–4284 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सवाई माधोपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीरामसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रामपति, ोर सिंह, राजेन्द्र वगैरा** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीरामसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **केमरी** तहसील **नादौती** जिला **सवाई माधोपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-14/4285 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **13 NM** का मु0 संख्या **31/46** रकबा **25.00** श्री **मूला** पुत्रश्री **सुरजमल** जाति **गुर्जर** निवासी **नयागावं** तहसील **टोडाभीम** जिला **सवाई माधोपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/26/1994** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **10/3/2008** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूला** की मृत्यु दिनांक **10/26/1994** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूला** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-14**/4286–4292 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सवाई माधोपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूला** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **फाबूली देवी, विक्रम, मलके वगैरा** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूला** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **नयागावं** तहसील **टोडाभीम** जिला **सवाई माधोपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-2/4293 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **64 SD** का मु0 संख्या **218/56** रकबा **24.25** श्री **हरनाम** पुत्रश्री **फेली** जाति **गुर्जर** निवासी **भोपर शाहपुर** तहसील **महुआ** जिला **सवाईमाधोपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/5/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरनाम** की मृत्यु दिनांक **12/5/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरनाम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-2**/4294–4300 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सवाईमाधोपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरनाम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **हरके I,मनीराम,दयाराम** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरनाम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भोपर शाहपुर** तहसील **महुआ** जिला **सवाईमाधोपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-19/4301 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **1 CHM** का मु0 संख्या **87/45** रकबा **25.00** श्री **सूरज्ञान** पुत्रश्री **निकेराम** जाति **गुर्जर** निवासी **नाहिडा** तहसील **महुआ** जिला **सवाईमाधोपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/17/1986** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **10/23/2008** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सूरज्ञान** की मृत्यु दिनांक **6/17/1986** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सूरज्ञान** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-19**/4302–4308 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **सवाईमाधोपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सूरज्ञान** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भाक्ति सिंह, वेवा रूप देवी, चन्दाबाई** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सूरज्ञान** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **नाहिडा** तहसील **महुआ** जिला **सवाईमाधोपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 321/4309 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **8 BWM** का मु0 संख्या **89/63** रकबा **23.95** श्री **महीपाल** पुत्रश्री **चंदगीराम** जाति **जाट** निवासी **चॉदगोठी** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/11/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **महीपाल** की मृत्यु दिनांक **2/11/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **महीपाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 321**/4310–4316 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **महीपाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **चिड़िया देवी, सत्यनारायण वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **महीपाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चॉदगोठी** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 786/4317 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **12 JWM-A** का मु0 संख्या **206/48** रकबा **25.00** श्री **श्योलाल** पुत्रश्री **भोमाराम** जाति **जाट** निवासी **नौसल** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/27/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योलाल** की मृत्यु दिनांक **12/27/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 786**/4318–4324 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **राजे I कुमार दतक पुत्र** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **नौसल** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-507/4325 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **11-12 BTSM** का मु0 संख्या **75/27** रकबा **10.00** श्री **रणजीत उर्फ कुशलाराम** पुत्रश्री **रावताराम** जाति **जाट** निवासी **गालड** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/7/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रणजीत उर्फ कुशलाराम** की मृत्यु दिनांक **4/7/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रणजीत उर्फ कुशलाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-507**/4326–4332 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रणजीत उर्फ कुशलाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **हरचंद, बनवारी, फूलाराम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रणजीत उर्फ कुशलाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गालड** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-442/4333 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1-2 HTM** का मु0 संख्या **210/34** रकबा **24.25** श्री **लिक्ष्मणराम** पुत्रश्री **बूजनराम** जाति **जाट** निवासी **मामराज का बास** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/12/2007** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लिक्ष्मणराम** की मृत्यु दिनांक **1/12/2007** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लिक्ष्मणराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-442**/4334–4340 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लिक्ष्मणराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मूंगी देवी, होि ियार सिंह, मंदरूप वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लिक्ष्मणराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मामराज का बास** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-711/4341 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नें. 2** जिला जैसलमेर के चक **8 GTM** का मु0 संख्या **188/1** रकबा **13.95** श्री **घडसीराम** पुत्रश्री **गोडूराम** जाति **जाट** निवासी **पहाडसर** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/8/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **घडसीराम** की मृत्यु दिनांक **5/8/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **घडसीराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-711**/4342–4348 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **घडसीराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सोना देवी, पवन कुमार** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **घडसीराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **पहाडसर** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 282/4349 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **3 DWM** का मु0 संख्या **151/53** रकबा **15.00** श्री **भवंरसिंह** पुत्रश्री **शिवदानसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **तुमबलीसारणा** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/26/2014** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भवंरसिंह** की मृत्यु दिनांक **12/26/2014** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भवंरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 282**/4350–4356 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भवंरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **उगम कुमारी,घन याम सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भवंरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **तुमबलीसारणा** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 69/4357 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **31 JJW** का मु0 संख्या **23/61** रकबा **24.25** श्री **खेताराम** पुत्रश्री **अमीलाल** जाति **जाट** निवासी **चुम्बकीयातला** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/26/2014** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खेताराम** की मृत्यु दिनांक **12/26/2014** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खेताराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 69**/4358–4364 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खेताराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मनभरी, वेदप्रका** T को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खेताराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चुम्बकीयातला** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-241/4365 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **4 BTSM** का मु0 संख्या **238/63** रकबा **10.00** श्री **सरदारा राम** पुत्रश्री **भयोबक्सराम** जाति **जाट** निवासी **हमीरवास** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/19/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/24/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारा राम** की मृत्यु दिनांक **11/19/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारा राम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-241**/4366–4372 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारा राम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सुरे I, गजे सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारा राम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हमीरवास** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-768/4373 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **60 SD** का मु0 संख्या **198/21** रकबा **25.00** श्री **उदयसिंह** पुत्रश्री **श्रीचन्द** जाति **जाट** निवासी **हरपालमण्डी** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/22/2011** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उदयसिंह** की मृत्यु दिनांक **3/22/2011** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उदयसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-768**/4374–4380 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उदयसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **किस्तुरी, मांगेराम,राजवीर, सत्यवीर वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उदयसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हरपालमण्डी** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-526/4381 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **4 RRM** का मु0 संख्या **235/32** रकबा **25.00** श्री **हुकमाराम** पुत्रश्री **मोटाराम** जाति **जाट** निवासी **गाडवास** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/13/1989** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हुकमाराम** की मृत्यु दिनांक **5/13/1989** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हुकमाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-526**/4382–4388 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हुकमाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **जय सिंह, रो ान लाल वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हुकमाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गाडवास** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-74/4389 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **11 MD-B** का मु0 संख्या **23/52** रकबा **13.10** श्री **मूलचन्द** पुत्रश्री **मामराज** जाति **जाट** निवासी **ढाणीबडी** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/26/2014** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलचन्द** की मृत्यु दिनांक **12/26/2014** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलचन्द** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-74**/4390–4396 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलचन्द** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मनकौर, मागेराव, का ीराम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मूलचन्द** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **ढाणीबडी** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-303/4397 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **12 JWM-A** का मु0 संख्या **187/33** रकबा **13.00** श्री **मनसुखराम** पुत्रश्री **रामजस** जाति **जाट** निवासी **इन्दसर** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/14/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मनसुखराम** की मृत्यु दिनांक **7/14/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मनसुखराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-303**/4398–4404 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मनसुखराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भूला, दरिया सिंह, महावीर वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मनसुखराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **इन्दसर** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-45/4405 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **4 RRM** का मु0 संख्या **236/25** रकबा **10.00** श्री **जगमालराम** पुत्रश्री **कालूराम** जाति **जाट** निवासी **हमीरवास बडा** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/25/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जगमालराम** की मृत्यु दिनांक **5/25/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जगमालराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-45**/4406–4412 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जगमालराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **दलीप सिंह, भोरसिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जगमालराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हमीरवास बडा** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-77/4413 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **1-3 LM** का मु0 संख्या **122/36** रकबा **14.00** श्री **पतराम** पुत्रश्री **रडमल** जाति **जाट** निवासी **भोजावास** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/26/2014** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पतराम** की मृत्यु दिनांक **12/26/2014** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पतराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-77**/4414–4420 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पतराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मनभरी, रणसिंह, धर्मपाल, रणधीर, जयसिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पतराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भोजावास** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-75/4421 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **5 QRM** का मु0 संख्या **110/10** रकबा **25.00** श्री **हनुमानसिंह** पुत्रश्री **बालूराम** जाति **जाट** निवासी **बेरसरछोटा** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/6/2006** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** की मृत्यु दिनांक **7/6/2006** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-75**/4422–4428 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भरपाई देवी,राजपाल, सुरे ा वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बेरसरछोटा** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-784/4429 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **3 JRM** का मु0 संख्या **201/11** रकबा **13.00** श्री **गोपालराम** पुत्रश्री **श्योचन्द राम** जाति **जाट** निवासी **हरपालूबडी** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/27/2012** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **11/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोपालराम** की मृत्यु दिनांक **8/27/2012** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोपालराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-784**/4430–4436 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोपालराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **ओमप्रका ा, घन याम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोपालराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हरपालूबडी** तहसील **राजगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-143/4437 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **6 BTSM** का मु0 संख्या **57/6** रकबा **10.00** श्री **पोंकरराम** पुत्रश्री **रतीराम** जाति **धाणका** निवासी **आसलखेडी** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/15/1991** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पोंकरराम** की मृत्यु दिनांक **11/15/1991** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पोंकरराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-143**/4438–4444 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पोंकरराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **अजीत कुमार, धर्मपाल वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पोंकरराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **आसलखेडी** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-165/4445 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **79 SD** का मु0 संख्या **56/59** रकबा **24.95** श्री **रामेश्वर** पुत्रश्री **महादाराम** जाति **जाट** निवासी **ढाणी डूगरसर** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/18/2005** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामेश्वर** की मृत्यु दिनांक **7/18/2005** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामेश्वर** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-165**/4446–4452 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामेश्वर** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **परमे वरी, संजय(दतक पुत्र)** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामेश्वर** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **ढाणी डूगरसर** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-57/4453 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **7 MD-B** का मु0 संख्या **41/31** रकबा **24.25** श्री **मालूसिंह** पुत्रश्री **पन्नेसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **बछरारा** तहसील **रतनगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/1/1993** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालूसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/1/1993** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालूसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-57**/4454–4460 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालूसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सोहन सिंह, रणजीत सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मालूसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बछरारा** तहसील **रतनगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-6/4461 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **3 BNJ** का मु0 संख्या **217/44** रकबा **25.00** श्री **भंवरसिंह** पुत्रश्री **बहादुरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **रूखासर** तहसील **रतनगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/15/2006** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भंवरसिंह** की मृत्यु दिनांक **3/15/2006** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भंवरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-6**/4462–4468 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भंवरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सदाकंवर,संतोश कंवर, सायर कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भंवरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **रूखासर** तहसील **रतनगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-174/4469 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **6 DWM** का मु0 संख्या **150/22** रकबा **10.00** श्री **जोगसिंह** पुत्रश्री **डूंगरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **लछासर** तहसील **रतनगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/11/2005** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जोगसिंह** की मृत्यु दिनांक **11/11/2005** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जोगसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-174**/4470–4476 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जोगसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मंगेज कंवर, ओम सिंह, सायर सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जोगसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **लछासर** तहसील **रतनगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-63/4477 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **9 SM** का मु0 संख्या **48/32** रकबा **13.40** श्री **चन्द्रसिंह** पुत्रश्री **लखूसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **चारिया** तहसील **सुजानगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/24/1992** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चन्द्रसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/24/1992** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चन्द्रसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-63**/4478–4484 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चन्द्रसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **विजय सिंह, जगमाल सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चन्द्रसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चारिया** तहसील **सुजानगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-119/4485 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ़ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **13 DWD** का मु0 संख्या **10/59** रकबा **10.00** श्री **आलम अली खॉ** पुत्रश्री **सुमेर खॉ** जाति **कायमखानी** निवासी **भोभासर** तहसील **सुजानगढ़** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/2/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **8/22/2000** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **आलम अली खॉ** की मृत्यु दिनांक **12/2/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **आलम अली खॉ** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-119**/4486–4492 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **आलम अली खॉ** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **हकीमत बानो, मु ताक अली खॉ, युसूफ खॉ वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **आलम अली खॉ** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भोभासर** तहसील **सुजानगढ़** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-19/4493 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **14 MKD** का मु0 संख्या **167/39** रकबा **25.00** श्री **चिरंजीलाल** पुत्रश्री **बाबूलाल** जाति **शर्मा** निवासी **इस्लामपुर** तहसील **सरदारशहर** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/17/2005** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चिरंजीलाल** की मृत्यु दिनांक **6/17/2005** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चिरंजीलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-19**/4494–4500 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चिरंजीलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **जमना देवी, प्रेम कुमार, हनुमान प्रसाद** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चिरंजीलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **इस्लामपुर** तहसील **सरदारशहर** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-61/4501 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **13 NM** का मु0 संख्या **31/11** रकबा **12.00** श्री **बिशनाराम** पुत्रश्री **नेताराम** जाति **जाट** निवासी **सूरतपुरा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/5/2007** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **3/11/2015** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बिशनाराम** की मृत्यु दिनांक **5/5/2007** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बिशनाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-61**/4502–4508 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बिशनाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सूरत सिंह,करण सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बिशनाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सूरतपुरा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-565/4509 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **16 MKM-ll** का मु0 संख्या **28/20** रकबा **25.00** श्री **कालूखॉ** पुत्रश्री **जुमरदीन खॉ** जाति **कायमखानी** निवासी **राजगढ** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/24/2007** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **6/24/2015** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कालूखॉ** की मृत्यु दिनांक **6/24/2007** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कालूखॉ** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-565**/4510–4516 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कालूखॉ** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सलीम खॉ, कुदरत अली, रमजान वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कालूखॉ** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **राजगढ** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-265/4517 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ–1** जिला जैसलमेर के चक **9 MMM** का मु0 संख्या **27/30** रकबा **25.00** श्री **जेठूराम** पुत्रश्री **मंशाराम** जाति **जाट** निवासी **कायाणा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/15/2006** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **3/6/2015** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जेठूराम** की मृत्यु दिनांक **7/15/2006** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जेठूराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-265**/4518–4524 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जेठूराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **दरिया सिहं, हरपाल सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जेठूराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **कायाणा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-105/4525 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **5 DDM** का मु0 संख्या **117/5** रकबा **11.00** श्री **सुन्दरराम** पुत्रश्री **कालूराम** जाति **जाट** निवासी **बछसरा** तहसील **रतनगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/7/1983** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुन्दरराम** की मृत्यु दिनांक **3/7/1983** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुन्दरराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-105**/4526–4532 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुन्दरराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सोना देवी नारायण, आसाराम पालाराम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुन्दरराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बछसरा** तहसील **रतनगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-190/4533 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **74 SD** का मु0 संख्या **36/14** रकबा **25.00** श्री **बालूराम** पुत्रश्री **दुरजाराम** जाति **जाट** निवासी **गोरीसर** तहसील **रतनगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/6/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बालूराम** की मृत्यु दिनांक **1/6/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बालूराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-190**/4534–4540 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बालूराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **देव कौर, गणपतराम, मदन लाल वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बालूराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गोरीसर** तहसील **रतनगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-58/4541 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1 KRSM** का मु0 संख्या **21/57** रकबा **10.00** श्री **अनेसिंह** पुत्रश्री **कनकसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **बछसरा** तहसील **रतनगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/11/1989** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अनेसिंह** की मृत्यु दिनांक **11/11/1989** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अनेसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-58**/4542–4548 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अनेसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मगन कंवर, करणी सिंह, समुन्द्र सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अनेसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बछसरा** तहसील **रतनगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-130/4549 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **11 LKM-B** का मु0 संख्या **104/14** रकबा **24.25** श्री **भौलसिंह** पुत्रश्री **नाहरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **मोडा** तहसील **रतनगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/4/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भौलसिंह** की मृत्यु दिनांक **4/4/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भौलसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-130**/4550–4556 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भौलसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **बाल कंवर,भागीरथ सिंह, सूरत सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भौलसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मोडा** तहसील **रतनगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-82/4557 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **23 DWM** का मु0 संख्या **51/19** रकबा **24.25** श्री **गोपालसिंह** पुत्रश्री **भंवरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **पायली** तहसील **रतनगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/9/1984** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोपालसिंह** की मृत्यु दिनांक **10/9/1984** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोपालसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-82**/4558–4564 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोपालसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **इचरज कंवर, जोध सिंह, लिछू सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोपालसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **पायली** तहसील **रतनगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-20/4565 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **4 KJM** का मु0 संख्या **23/46** रकबा **11.00** श्री **सरदारसिंह** पुत्रश्री **मेधसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **चलकोई बीकान** तहसील **तारानगर** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/22/2005** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारसिंह** की मृत्यु दिनांक **11/22/2005** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-20**/4566–4572 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सुप्यार कंवर, प्रताप सिंह, राजेन्द्र सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चलकोई बीकान** तहसील **तारानगर** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-39/4573 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **15 JJW-A** का मु0 संख्या **130/53** रकबा **13.25** श्री **सुगनसिंह** पुत्रश्री **जेठमल** जाति निवासी **गोडास** तहसील **तारानगर** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/17/1992** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुगनसिंह** की मृत्यु दिनांक **3/17/1992** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुगनसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-39**/4574–4580 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुगनसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भंवरीदेवी, हडमान सिंह, पन्नेसिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुगनसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गोडास** तहसील **तारानगर** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-23/4581 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **7-9 JWD** का मु0 संख्या **189/44** रकबा **9.00** श्री **सुरजाराम** पुत्रश्री **रामदयाल** जाति **जाट** निवासी **घासला आगूना** तहसील **तारानगर** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/1/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुरजाराम** की मृत्यु दिनांक **9/1/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुरजाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-23**/4582–4588 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुरजाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **ओमप्रका I, हरिसिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुरजाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **घासला आगूना** तहसील **तारानगर** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-15/4589 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **14 MKD** का मु0 संख्या **167/56** रकबा **25.00** श्री **बागासिंह** पुत्रश्री **नोपसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **अलायला** तहसील **तारानगर** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/4/1990** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बागासिंह** की मृत्यु दिनांक **2/4/1990** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बागासिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-15**/4590–4596 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बागासिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **बनारसी कंवर, अर्जुन सिंह, भीमसिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बागासिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **अलायला** तहसील **तारानगर** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-35/4597 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **11 PDB** का मु0 संख्या **83/23** रकबा **14.00** श्री **पाबूदानसिंह** पुत्रश्री **रावतसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **एफसीआई गोदाम रोड गोरधन की चक्की के पास इंद्रा कॉलोनी, बीकानेर** तहसील **तारानगर** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/9/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पाबूदानसिंह** की मृत्यु दिनांक **6/9/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पाबूदानसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-35**/4598–4604 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पाबूदानसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सोहन सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पाबूदानसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **एफसीआई गोदाम रोड गोरधन की चक्की के पास इंद्रा कॉलोनी, बीकानेर** तहसील **तारानगर** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-52/4605 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **11-12 BTSM** का मु0 संख्या **75/2** रकबा **25.00** श्री **आसूसिंह** पुत्रश्री **लालसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **चलकोई बीकान** तहसील **तारानगर** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/1/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **आसूसिंह** की मृत्यु दिनांक **8/1/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **आसूसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-52**/4606–4612 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **आसूसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सैलाब कंवर, सवाई सिंह, छगन सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **आसूसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चलकोई बीकान** तहसील **तारानगर** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-60/4613 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **11-12 BTSM** का मु0 संख्या **75/18** रकबा **25.00** श्री **हनुमानसिंह** पुत्रश्री **पोकरराम** जाति **जाट** निवासी **झारसर छोटा** तहसील **तारानगर** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/2/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** की मृत्यु दिनांक **12/2/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-60**/4614–4620 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भंवरी देवी, केवलकृश्ण महावीर सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **झारसर छोटा** तहसील **तारानगर** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-50/4621 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **11 LKM-B** का मु0 संख्या **104/9** रकबा **12.00** श्री **सांवतसिंह राजपूत** पुत्रश्री **जतनसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **चलकोई बीकान** तहसील **तारानगर** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/17/2005** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **10/3/2008** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सांवतसिंह राजपूत** की मृत्यु दिनांक **8/17/2005** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सांवतसिंह राजपूत** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-50**/4622–4628 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सांवतसिंह राजपूत** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **प्रेम कंवर, रामसिंह, सुमन कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सांवतसिंह राजपूत** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चलकोई बीकान** तहसील **तारानगर** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-71/4629 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **13 NM** का मु0 संख्या **11/59** रकबा **12.00** श्री **गुलाबसिंह** पुत्रश्री **चतरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **चारिया** तहसील **सुजानगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/6/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुलाबसिंह** की मृत्यु दिनांक **3/6/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुलाबसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-71**/4630–4636 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुलाबसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **बन्ने सिंह, मूलसिंह, हाकम सिंह, ाक्ति सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुलाबसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चारिया** तहसील **सुजानगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-51/4637 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **19-20 SLD** का मु0 संख्या **89/30** रकबा **10.00** श्री **गिधाराम उर्फ गिरधारी** पुत्रश्री **मालाराम** जाति **जाट** निवासी **सोभासर** तहसील **सुजानगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/25/1905** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गिधाराम उर्फ गिरधारी** की मृत्यु दिनांक **6/25/1905** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गिधाराम उर्फ गिरधारी** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-51**/4638–4644 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गिधाराम उर्फ गिरधारी** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **चूकी देवी, पूर्णाराम, रामे वर वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गिधाराम उर्फ गिरधारी** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सोभासर** तहसील **सुजानगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-38/4645 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **76 SD** का मु0 संख्या **36/52** रकबा **25.00** श्री **मोटाराम** पुत्रश्री **हुकमाराम** जाति **जाट** निवासी **बडावर** तहसील **सुजानगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/16/1990** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मोटाराम** की मृत्यु दिनांक **1/16/1990** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मोटाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-38**/4646–4652 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मोटाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **बरजी देवी, ई वरलाल, मघाराम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मोटाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बडावर** तहसील **सुजानगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-17/4653 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **2 NM** का मु0 संख्या **233/27** रकबा **12.00** श्री **माणकसिंह** पुत्रश्री **माधोसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **खारिया** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/27/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **माणकसिंह** की मृत्यु दिनांक **2/27/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **माणकसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-17**/4654–4660 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **माणकसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **उगम कंवर, भंवर सिंह, रवि सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **माणकसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **खारिया** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-55/4661 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **5-8 BTSM** का मु0 संख्या **37/7** रकबा **10.00** श्री **सावतसिंह** पुत्रश्री **आसूसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **सिरसला** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/12/1991** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सावतसिंह** की मृत्यु दिनांक **12/12/1991** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सावतसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-55**/4662–4668 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सावतसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भागन कंवर, कि ोर सिंह, फतेह सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सावतसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सिरसला** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-97/4669 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **4 RRM** का मु0 संख्या **236/26** रकबा **14.50** श्री **अमरसिंह** पुत्रश्री **शोभासिंह** जाति **राजपूत** निवासी **बीनासर** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/1/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमरसिंह** की मृत्यु दिनांक **2/1/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-97**/4670–4676 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भंवर सिंह, रेवंत सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बीनासर** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-11/4677 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **3 SLD** का मु0 संख्या **11/37** रकबा **20.00** श्री **हनुमानसिंह** पुत्रश्री **मोटाराम** जाति **जाट** निवासी **जसरासर** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/11/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** की मृत्यु दिनांक **4/11/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-11**/4678–4684 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **अमरा देवी, ताराचंद, प्रभुराम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हनुमानसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **जसरासर** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-53/4685 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **13 NM** का मु0 संख्या **31/11** रकबा **12.25** श्री **कल्याणसिंह** पुत्रश्री **लूणसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **काकलासर** तहसील **सरदारशहर** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/1/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कल्याणसिंह** की मृत्यु दिनांक **7/1/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कल्याणसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-53**/4686–4692 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कल्याणसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **धापा कंवर, प्रभु सिंह करण, सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कल्याणसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **काकलासर** तहसील **सरदारशहर** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-82/4693 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **4 JJW** का मु0 संख्या **114/27** रकबा **25.00** श्री **नजीर खॉ** पुत्रश्री **महमूदखॉ** जाति **मुसलमान** निवासी **कालूसर** तहसील **सरदारशहर** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/15/2007** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नजीर खॉ** की मृत्यु दिनांक **2/15/2007** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नजीर खॉ** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-82**/4694–4700 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नजीर खॉ** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **जन्नत बानो पत्नि** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नजीर खॉ** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **कालूसर** तहसील **सरदारशहर** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-537/4701 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **4-5 MTM** का मु0 संख्या **172/33** रकबा **25.00** श्री **मानीराम** पुत्रश्री **हेमाराम** जाति **जाट** निवासी **गालड** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/22/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मानीराम** की मृत्यु दिनांक **4/22/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मानीराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-537**/4702–4708 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मानीराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सुखा देवी,इन्द्राज,रामनिवास** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मानीराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गालड** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-401/4709 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **22 BD** का मु0 संख्या **129/59** रकबा **12.70** श्री **रामलाल** पुत्रश्री **मनदरूपराम** जाति **जाट** निवासी **लाखलान** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/16/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामलाल** की मृत्यु दिनांक **6/16/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-401**/4710–4716 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **ि ावपाल,रणवीर सिंह, वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **लाखलान** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-14/4717 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **12 JWM-A** का मु0 संख्या **206/54** रकबा **25.00** श्री **गुमानसिंह** पुत्रश्री **हुकमसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **मलसीसर** तहसील **सुजानगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/6/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुमानसिंह** की मृत्यु दिनांक **2/6/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुमानसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-14**/4718–4724 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुमानसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सुप्यार कंवर,भंवर सिंह, बजरंग सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुमानसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मलसीसर** तहसील **सुजानगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-340/4725 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **11 LKM-B** का मु0 संख्या **103/16** रकबा **13.00** श्री **नोपाराम** पुत्रश्री **लिछमणराम** जाति **जाट** निवासी **लुटानासदासुख** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/17/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नोपाराम** की मृत्यु दिनांक **3/17/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नोपाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-340**/4726–4732 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नोपाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **चमेली, दल्लेसिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नोपाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **लुटानासदासुख** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-337/4733 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **2 NM** का मु0 संख्या **233/27** रकबा **12.25** श्री **गोपालराम** पुत्रश्री **श्योलालराम** जाति **जाट** निवासी **जेतपुरा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/9/1989** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोपालराम** की मृत्यु दिनांक **12/9/1989** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोपालराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-337**/4734–4740 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोपालराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **धनपतराम, अंतर सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गोपालराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **जेतपुरा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-674/4741 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **16 JWD** का मु0 संख्या **149/35** रकबा **15.00** श्री **जीसुखराम** पुत्रश्री **श्यामाराम** जाति **जाट** निवासी **तुम्बलीशांखण** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/14/1986** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जीसुखराम** की मृत्यु दिनांक **5/14/1986** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जीसुखराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-674**/4742–4748 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जीसुखराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रूखमा देवी,रामस्वरूप वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जीसुखराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **तुम्बलीशांखण** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-639/4749 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **11-12 BTSM** का मु0 संख्या **55/39** रकबा **25.00** श्री **श्योकरण** पुत्रश्री **श्रीचन्द** जाति **कुम्हार** निवासी **लसेडी** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/16/1994** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योकरण** की मृत्यु दिनांक **3/16/1994** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योकरण** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-639**/4750–4756 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योकरण** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **पूर्णाराम, ई वर सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योकरण** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **लसेडी** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-607/4757 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1 GTM, 2 DWM** का मु0 संख्या **170/63** रकबा **15.00** श्री **हीराराम** पुत्रश्री **नून्दाराम** जाति **जाट** निवासी **सुलखणियाबडा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/27/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हीराराम** की मृत्यु दिनांक **1/27/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हीराराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-607**/4758–4764 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हीराराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मनकौरी, धर्मपाल, सूरजभान** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हीराराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सुलखणियाबडा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-603/4765 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **16 MKM-II** का मु0 संख्या **08/56** रकबा **25.00** श्री **नौरंगराम** पुत्रश्री **हरीराम** जाति **स्वामी** निवासी **जेतपुरा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/2/1989** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नौरंगराम** की मृत्यु दिनांक **1/2/1989** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नौरंगराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-603**/4766–4772 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नौरंगराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **खजानी देवी, जगदीश प्रसाद, रामप्रसाद, रामकि ान वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नौरंगराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **जेतपुरा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-568/4773 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **3 DWM** का मु0 संख्या **151/46** रकबा **14.50** श्री **मुकनसिंह** पुत्रश्री **मोहनलाल** जाति **चमार** निवासी **खेतडी** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/3/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मुकनसिंह** की मृत्यु दिनांक **6/3/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मुकनसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-568**/4774–4780 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मुकनसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **पूला देवी, मदन सिंह, महेन्द्र सिंह वगैरह,** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मुकनसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **खेतडी** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-427/4781 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1 KRSM** का मु0 संख्या **21/58** रकबा **10.00** श्री **मुनाराम** पुत्रश्री **रास्वरूपाराम** जाति **जाट** निवासी **घटाउ** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/16/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मुनाराम** की मृत्यु दिनांक **12/16/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मुनाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-427**/4782–4788 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मुनाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **बादी देवी, नेतराम, महेन्द्र सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मुनाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **घटाउ** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-407/4789 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **1-3 LM** का मु0 संख्या **121/62** रकबा **12.00** श्री **भगवानाराम** पुत्रश्री **हरदेवाराम** जाति **जाट** निवासी **नेसल** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/16/1993** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानाराम** की मृत्यु दिनांक **3/16/1993** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-407**/4790–4796 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **महीपाल, विजयकुमार** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **नेसल** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-403/4797 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **72 SD** का मु0 संख्या **16/64** रकबा **25.00** श्री **सरदारसिंह** पुत्रश्री **रिछपाल** जाति **जाट** निवासी **हमीरवास छोटा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/6/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारसिंह** की मृत्यु दिनांक **9/6/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-403**/4798–4804 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **,महताब सिंह,संतोश वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदारसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हमीरवास छोटा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-824/4805 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1-3 BTSM** का मु0 संख्या **19/28** रकबा **14.00** श्री **रामकुमार** पुत्रश्री **बस्तीराम** जाति **धानक** निवासी **बालान** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/14/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **10/3/2008** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामकुमार** की मृत्यु दिनांक **12/14/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामकुमार** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-824**/4806–4812 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामकुमार** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सिंदोखी देवी,विजयपाल,राजे** I को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामकुमार** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बालान** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-761/4813 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **14 NM** का मु0 संख्या **51/21** रकबा **12.00** श्री **पेमाराम** पुत्रश्री **बस्तीराम** जाति **जाट** निवासी **चुबकीयागढ** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/1/2005** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पेमाराम** की मृत्यु दिनांक **1/1/2005** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पेमाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-761**/4814–4820 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पेमाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **हरि सिंह, भगवानाराम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पेमाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चुबकीयागढ** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-758/4821 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **12-13 BNJ** का मु0 संख्या **94/27** रकबा **25.00** श्री **तुलसीराम** पुत्रश्री **सोहनराम** जाति **जाट** निवासी **न्यागलछोटी** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/15/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **तुलसीराम** की मृत्यु दिनांक **7/15/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **तुलसीराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-758**/4822–4828 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **तुलसीराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **छोटा देवी, राजेन्द्र, कुलवीर वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **तुलसीराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **न्यागलछोटी** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-731/4829 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **61 SD** का मु0 संख्या **200/08** रकबा **25.00** श्री **श्योनारायण** पुत्रश्री **अमरचन्द** जाति **जाट** निवासी **लम्बौरबडी** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/19/2007** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योनारायण** की मृत्यु दिनांक **12/19/2007** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योनारायण** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-731**/4830–4836 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योनारायण** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **समाकोर,कृश्णा, पवन** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योनारायण** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **लम्बौरबडी** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-709/4837 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **5-8 BTSM** का मु0 संख्या **37/5** रकबा **15.00** श्री **चूनीलाल** पुत्रश्री **उदमीराम** जाति **जाट** निवासी **किसनपुरिया** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/30/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चूनीलाल** की मृत्यु दिनांक **1/30/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चूनीलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-709**/4838–4844 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चूनीलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **फूलपति,ओमप्रका I, महेन्द्र सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चूनीलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **किसनपुरिया** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-110/4845 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **3 BWM** का मु0 संख्या **52/2** रकबा **11.30** श्री **आशाराम** पुत्रश्री **हुजरराम** जाति **जाट** निवासी **ढिढालचेना** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/10/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **आशाराम** की मृत्यु दिनांक **7/10/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **आशाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-110**/4846–4852 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **आशाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **नरमा, सतवीर, राजबाला** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **आशाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **ढिढालचेना** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-112/4853 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **3 GTM** का मु0 संख्या **171/58** रकबा **12.00** श्री **अर्जुनराम** पुत्रश्री **बेगाराम** जाति **जाट** निवासी **गालड** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/30/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अर्जुनराम** की मृत्यु दिनांक **9/30/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अर्जुनराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-112**/4854–4860 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अर्जुनराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **प्रताप सिंह, श्रवण कुमार वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अर्जुनराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गालड** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-820/4861 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **4 PKM** का मु0 संख्या **57/54** रकबा **25.00** श्री **श्रीचन्द** पुत्रश्री **मुलाराम** जाति **हरिजन** निवासी **हमीरवास** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/3/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीचन्द** की मृत्यु दिनांक **4/3/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीचन्द** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-820**/4862–4868 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीचन्द** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **छन्नो देवी, सुरे ा कुमार वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीचन्द** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हमीरवास** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-328/4869 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **15-17 SLD** का मु0 संख्या **89/16** रकबा **25.00** श्री **नौरंगराम** पुत्रश्री **बालाराम** जाति **जाट** निवासी **चांदगोठी** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/25/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नौरंगराम** की मृत्यु दिनांक **5/25/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नौरंगराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-328**/4870–4876 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नौरंगराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **चन्द्रावली,रोहिता I, संजय कुमार** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नौरंगराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चांदगोठी** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-274/4877 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1-3 BTSM** का मु0 संख्या **19/21** रकबा **10.00** श्री **हरफूलराम** पुत्रश्री **रतीराम** जाति **जाट** निवासी **दाना** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/11/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरफूलराम** की मृत्यु दिनांक **11/11/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरफूलराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-274**/4878–4884 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरफूलराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **दरिया सिंह, वीर सिंह, राजे ा कुमार वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरफूलराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **दाना** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-276/4885 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **14 NM** का मु0 संख्या **51/11** रकबा **12.25** श्री **हरनाम** पुत्रश्री **रावतराम** जाति **जाट** निवासी **गालड** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/10/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरनाम** की मृत्यु दिनांक **11/10/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरनाम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-276**/4886–4892 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरनाम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रामसिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरनाम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गालड** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-620/4893 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **33 SLD** का मु0 संख्या **167/35** रकबा **25.00** श्री **गिरधारीराम** पुत्रश्री **अन्ताराम** जाति **जाट** निवासी **कामाणा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/12/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गिरधारीराम** की मृत्यु दिनांक **11/12/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गिरधारीराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-620**/4894–4900 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गिरधारीराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **होि ायार सिंह, हरदयाल सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गिरधारीराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **कामाणा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-150/4901 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **63 SD** का मु0 संख्या **200/47** रकबा **24.25** श्री **सोहनराम** पुत्रश्री **छलूराम** जाति **जाट** निवासी **बींजावास** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/20/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सोहनराम** की मृत्यु दिनांक **6/20/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सोहनराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-150**/4902–4908 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सोहनराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **हंसकौर, उम्मेद सिंह, बलवीर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सोहनराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बींजावास** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-171/4909 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **3 DWM** का मु0 संख्या **151/38** रकबा **14.00** श्री **इस्माईल बेग** पुत्रश्री **अमीर बेग** जाति **कायमखानी** निवासी **राजगढ** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/19/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **इस्माईल बेग** की मृत्यु दिनांक **1/19/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **इस्माईल बेग** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-171**/4910–4916 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **इस्माईल बेग** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **अनवर बेग वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **इस्माईल बेग** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **राजगढ** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-154/4917 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **6 MD** का मु0 संख्या **40/62** रकबा **25.00** श्री **सुरतसिंह** पुत्रश्री **दीनाराम** जाति **जाट** निवासी **बींजावास** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/30/1992** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुरतसिंह** की मृत्यु दिनांक **11/30/1992** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुरतसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-154**/4918–4924 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुरतसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **दलीप, मेवा सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुरतसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बींजावास** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-650/4925 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1 NBM** का मु0 संख्या **45/52** रकबा **23.00** श्री **मनीराम** पुत्रश्री **नानकराम** जाति **स्वामी** निवासी **भगली** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/28/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मनीराम** की मृत्यु दिनांक **12/28/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मनीराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-650**/4926–4932 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मनीराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **महेन्द्र सिंह, सुमेर सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मनीराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भगली** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-622/4933 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1 DDM** का मु0 संख्या **142/45** रकबा **13.35** श्री **गणपत** पुत्रश्री **कानाराम** जाति **जाट** निवासी **ुबेरासरबडा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/24/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गणपत** की मृत्यु दिनांक **3/24/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गणपत** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-622**/4934–4940 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गणपत** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **माया कौर, भौम सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गणपत** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **ुबेरासरबडा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-559/4941 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **10 GTM** का मु0 संख्या **168/37** रकबा **24.25** श्री **घडसीराम** पुत्रश्री **श्रीराम** जाति **जाट** निवासी **सरदारपुरा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/10/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **घडसीराम** की मृत्यु दिनांक **2/10/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **घडसीराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-559**/4942–4948 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **घडसीराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **हरदेयी, चेतराम, दलीप सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **घडसीराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सरदारपुरा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-498/4949 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **7 MD 'B'** का मु0 संख्या **42/33** रकबा **25.00** श्री **करमानन्द** पुत्रश्री **लादूराम** जाति **जाट** निवासी **नवा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/3/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **10/8/2010** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **करमानन्द** की मृत्यु दिनांक **5/3/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **करमानन्द** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-498**/4950–4956 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **करमानन्द** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भतेरी देवी, विजय सिंह, कुलदीप सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **करमानन्द** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **नवा** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-267/4957 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **54 SD** का मु0 संख्या **142/33** रकबा **25.00** श्री **लिछमणराम** पुत्रश्री **दलूराम** जाति **जाट** निवासी **मुन्दीतला** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/11/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लिछमणराम** की मृत्यु दिनांक **5/11/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लिछमणराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-267**/4958–4964 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लिछमणराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **करण सिंह, नारायण सिंह, वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लिछमणराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मुन्दीतला** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-22/4965 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **17 MKM-II** का मु0 संख्या **228/62** रकबा **25.00** श्री **सामलसिंह** पुत्रश्री **कुरडसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **भुवाडी** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/13/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सामलसिंह** की मृत्यु दिनांक **3/13/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सामलसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-22**/4966–4972 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सामलसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मीना देवी, सुरेन्द्र सिंह, बंसत सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सामलसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भुवाडी** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-47/4973 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **3-4 RWM** का मु0 संख्या **104/23** रकबा **25.00** श्री **जागेराम** पुत्रश्री **कुरडाराम** जाति **जाट** निवासी **चनाना** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/12/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जागेराम** की मृत्यु दिनांक **9/12/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जागेराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-47**/4974–4980 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जागेराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भागा देवी, राजवीर वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जागेराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चनाना** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-48/4981 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **6 M2M** का मु0 संख्या **84/17** रकबा **23.50** श्री **रामकुमार** पुत्रश्री **चुनीराम** जाति **चमार** निवासी **चनाना** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/19/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामकुमार** की मृत्यु दिनांक **5/19/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामकुमार** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-48**/4982–4988 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामकुमार** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **पार्वती, लादूरा, ि ा ाराम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामकुमार** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चनाना** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-440/4989 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **4 MD(A)** का मु0 संख्या **79/19** रकबा **15.00** श्री **भोपालसिंह** पुत्रश्री **जवाहरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **मिठडीकेशरीसिंह** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/16/1991** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भोपालसिंह** की मृत्यु दिनांक **10/16/1991** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भोपालसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-440**/4990–4996 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भोपालसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **नान कंवर, कायम सिंह, भांकर सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भोपालसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मिठडीकेशरीसिंह** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-726/4997 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **6 KJM** का मु0 संख्या **02/13** रकबा **24.25** श्री **रामसिंह** पुत्रश्री **नेतराम** जाति **जाट** निवासी **ढाणीजीराम** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/19/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामसिंह** की मृत्यु दिनांक **10/19/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-726**/4998–5004 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मांगेराम, सुरे I वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **ढाणीजीराम** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-730/5005 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **4 BRM** का मु0 संख्या **02/30** रकबा **24.25** श्री **भगवानचन्द** पुत्रश्री **भीमाराम** जाति **नायक** निवासी **लम्बोरछिपियान** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/5/1984** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानचन्द** की मृत्यु दिनांक **8/5/1984** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानचन्द** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-730**/5006–5012 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानचन्द** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **प्रेम, प्रका ा, सुरेन्द्र सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानचन्द** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **लम्बोरछिपियान** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-705/5013 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **4 JVM** का मु0 संख्या **229/12** रकबा **23.00** श्री **बनवारीलाल** पुत्रश्री **किसनाराम** जाति **जाट** निवासी **गागडवास** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/3/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बनवारीलाल** की मृत्यु दिनांक **5/3/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बनवारीलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-705**/5014–5020 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बनवारीलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **बादो देवी** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बनवारीलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गागडवास** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-433/5021 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **11 MD-A** का मु0 संख्या **23/49** रकबा **12.25** श्री **किशनसिंह** पुत्रश्री **मोहनसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **बीबासरबीदावतान** तहसील **सुजानगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/26/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **6/18/2012** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किशनसिंह** की मृत्यु दिनांक **2/26/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किशनसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-433**/5022–5028 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किशनसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रतन सिंह, अजीत सिंह, राजेन्द्र सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किशनसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बीबासरबीदावतान** तहसील **सुजानगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-31/5029 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **4 MKM-II** का मु0 संख्या **108/30** रकबा **25.00** श्री **बुधराम** पुत्रश्री **गुलाराम** जाति **कुम्हार** निवासी **पडीहारा** तहसील **रतनगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/20/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **6/18/2012** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बुधराम** की मृत्यु दिनांक **5/20/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बुधराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-31**/5030–5036 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बुधराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सुरस्वती, इन्द्रचंद,लिखमाराम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बुधराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **पडीहारा** तहसील **रतनगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-3/5037 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **3-4 RWM** का मु0 संख्या **85/42** रकबा **25.00** श्री **जगमालसिंह** पुत्रश्री **लादूसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **बीबासरबीदावतान** तहसील **सुजानगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/1/2007** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **6/18/2012** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जगमालसिंह** की मृत्यु दिनांक **7/1/2007** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जगमालसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-3**/5038–5044 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जगमालसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रूप कंवर, जोरावर सिंह, भोर सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जगमालसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बीबासरबीदावतान** तहसील **सुजानगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-6/5045 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ न0 2** जिला जैसलमेर के चक **19-20 SLD** का मु0 संख्या **90/53** रकबा **24.25** श्री **अलादीन खां** पुत्रश्री **बल्लू खां** जाति **कायमखानी** निवासी **भोभासर** तहसील **सुजानगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/23/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **9/26/2016** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अलादीन खां** की मृत्यु दिनांक **11/23/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अलादीन खां** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-6**/5046–5052 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अलादीन खां** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **हाजरा बानो, सबीर खां, युनूस खां वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अलादीन खां** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भोभासर** तहसील **सुजानगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-787/5053 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1 BWM-B** का मु0 संख्या **53/1** रकबा **25.00** श्री **गुलाब** पुत्रश्री **जीवण** जाति **जाट** निवासी **हरपालू** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/9/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुलाब** की मृत्यु दिनांक **3/9/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुलाब** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-787**/5054–5060 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुलाब** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भतेरी, राजवीर, धर्मवीर वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुलाब** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हरपालू** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-7/5061 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **4 BTSM** का मु0 संख्या **18/07** रकबा **10.00** श्री **भेरूसिंह** पुत्रश्री **कालूसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **खालिया** तहसील **सुजानगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/16/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **9/26/2012** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भेरूसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/16/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भेरूसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-7**/5062–5068 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भेरूसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सुमन कंवर,मोती सिंह, दिलीप सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भेरूसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **खालिया** तहसील **सुजानगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-148/5069 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **3 GTM** का मु0 संख्या **189/08** रकबा **12.25** श्री **भगवानाराम** पुत्रश्री **कृष्णाराम** जाति **खाती** निवासी **दुदवाखारा** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/19/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **8/23/2012** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानाराम** की मृत्यु दिनांक **4/19/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-148**/5070–5076 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **हरबाई, देवकरण, बिरबल वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **दुदवाखारा** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-96/5077 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **2 ULM** का मु0 संख्या **138/47** रकबा **25.00** श्री **जगदीशसिह** पुत्रश्री **गिरधारीसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **सुजानगढ** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/15/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जगदीशसिह** की मृत्यु दिनांक **7/15/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जगदीशसिह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-96**/5078–5084 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जगदीशसिह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **प्रेम कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जगदीशसिह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सुजानगढ** तहसील **चुरू** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-311/5085 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **9 MMM** का मु0 संख्या **27/38** रकबा **24.25** श्री **फूलचन्द** पुत्रश्री **सुखदेवराम** जाति **जाट** निवासी **बडावास** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/16/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **फूलचन्द** की मृत्यु दिनांक **11/16/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **फूलचन्द** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-311**/5086–5092 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चुरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **फूलचन्द** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **धनपती देवी** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **फूलचन्द** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बडावास** तहसील **राजगढ** जिला **चुरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-683/5093 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **8 KJM** का मु0 संख्या **22/51** रकबा **24.25** श्री **श्रीचन्द** पुत्रश्री **मनसाराम** जाति **जाट** निवासी **हमीरवास छोटा** तहसील **राजगढ** जिला **चूरू** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/5/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/22/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीचन्द** की मृत्यु दिनांक **7/5/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीचन्द** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-683**/5094–5100 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **चूरू** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीचन्द** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **अ ोक कुमार दतक पुत्र** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्रीचन्द** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हमीरवास छोटा** तहसील **राजगढ** जिला **चूरू** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 24/5101 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **2-4 DDM** का मु0 संख्या **119/28** रकबा **25.00** श्री **रामपालसिंह** पुत्रश्री **उमराव सिंह** जाति **राजपूत** निवासी **राजनौता** तहसील **कोटपूतली** जिला **जयपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/19/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/22/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामपालसिंह** की मृत्यु दिनांक **3/19/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामपालसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 24**/5102–5108 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जयपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामपालसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रूखमणी बाई, राजेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामपालसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **राजनौता** तहसील **कोटपूतली** जिला **जयपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 21/5109 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **3 JKM** का मु0 संख्या **121/45** रकबा **25.00** श्री **गुलाबसिंह** पुत्रश्री **जोरावरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **सिंगोद खुर्द** तहसील **चौमू** जिला **जयपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/4/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **3/12/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुलाबसिंह** की मृत्यु दिनांक **4/4/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुलाबसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 21**/5110–5116 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जयपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुलाबसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **छितर सिंह, भयाम सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुलाबसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सिंगोद खुर्द** तहसील **चौमू** जिला **जयपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-82/5117 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **11 MKM-II** का मु0 संख्या **48/9** रकबा **25.00** श्री **पूर्णसिंह** पुत्रश्री **भवंरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **करोली राजनोता** तहसील **कोटपूतली** जिला **जयपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/26/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पूर्णसिंह** की मृत्यु दिनांक **2/26/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पूर्णसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-82**/5118–5124 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जयपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पूर्णसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **फूल बाई** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पूर्णसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **करोली राजनोता** तहसील **कोटपूतली** जिला **जयपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-35/5125 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **16 MKM-II** का मु0 संख्या **08/57** रकबा **25.00** श्री **हरनाथसिह** पुत्रश्री **अमरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **धानकिया** तहसील **जयपुर** जिला **जयपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/22/1990** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरनाथसिह** की मृत्यु दिनांक **5/22/1990** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरनाथसिह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-35**/5126–5132 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जयपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरनाथसिह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **पृथ्वीसिंह,सुमेर सिंह वगैरा** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरनाथसिह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **धानकिया** तहसील **जयपुर** जिला **जयपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-47/5133 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **1 BM** का मु0 संख्या **45/14** रकबा **24.25** श्री **हरिसिंह** पुत्रश्री **मक्खनसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **राजनोता** तहसील **कोटपूतली** जिला **जयपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/17/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरिसिंह** की मृत्यु दिनांक **2/17/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरिसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-47**/5134–5140 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जयपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरिसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **बनारसी देवी, सूरजभान,मीरा वगैरा** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरिसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **राजनोता** तहसील **कोटपूतली** जिला **जयपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-59/5141 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **33 JJW** का मु0 संख्या **82/10** रकबा **23.95** श्री **दर्शनलाल** पुत्रश्री **रामभज** जाति **(पत्रावली पर उपलब्ध नहीं)** निवासी **मकान न. 7 ख 19 जवाहर नगर** तहसील **जयपुर** जिला **जयपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/2/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **11/19/2009** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दर्शनलाल** की मृत्यु दिनांक **5/2/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दर्शनलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-59**/5142–5148 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जयपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दर्शनलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **लीलावती** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दर्शनलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मकान न. 7 ख 19 जवाहर नगर** तहसील **जयपुर** जिला **जयपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-5/5149 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **10-11 BNJ** का मु0 संख्या **74/27** रकबा **25.00** श्री **छितरसिंह** पुत्रश्री **आन्नदसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **सिरानी** तहसील **सांगानेर** जिला **जयपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/14/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छितरसिंह** की मृत्यु दिनांक **3/14/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छितरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-5**/5150–5156 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जयपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छितरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **देवी सिंह, कान सिंह, गोविन्द सिंह, कोकीला कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छितरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सिरानी** तहसील **सांगानेर** जिला **जयपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-12/5157 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **15-17 SLD** का मु0 संख्या **90/38** रकबा **24.25** श्री **लक्ष्मणसिंह** पुत्रश्री **सम्पतसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **किशनपुरा** तहसील **चौमू** जिला **जयपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/29/1990** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लक्ष्मणसिंह** की मृत्यु दिनांक **9/29/1990** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लक्ष्मणसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-12**/5158–5164 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जयपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लक्ष्मणसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रतनसिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लक्ष्मणसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **किशनपुरा** तहसील **चौमू** जिला **जयपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R 147/5165 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **70 SD** का मु0 संख्या **17/29** रकबा **25.00** श्री **दौलतसिंह** पुत्रश्री **भोपालसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **माण्डू** तहसील **जोधपुर** जिला **जोधपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/8/1992** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/24/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दौलतसिंह** की मृत्यु दिनांक **5/8/1992** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दौलतसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R 147**/5166–5172 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जोधपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दौलतसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **श्रीमती भंवर कंवर, जसवन्त सिंह, पूनम सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दौलतसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **माण्डू** तहसील **जोधपुर** जिला **जोधपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 10/5173 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1 KRSM** का मु0 संख्या **21/30** रकबा **9.00** श्री **कानाराम** पुत्रश्री **अमोलखराम** जाति **विश्नोई** निवासी **पिलवा** तहसील **फलौदी** जिला **जोधपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/8/2009** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कानाराम** की मृत्यु दिनांक **2/8/2009** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कानाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 10**/5174–5180 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जोधपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कानाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **अणची देवी, मोहनराम , जगदी I वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कानाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **पिलवा** तहसील **फलौदी** जिला **जोधपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-57/5181 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **6 DWM** का मु0 संख्या **150/32** रकबा **14.25** श्री **पूंजराजसिंह** पुत्रश्री **किशोरसिंह** जाति निवासी **खिरजाखास** तहसील **शेरगढ** जिला **जोधपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/1/2006** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पूंजराजसिंह** की मृत्यु दिनांक **4/1/2006** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पूंजराजसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-57**/5182–5188 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जोधपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पूंजराजसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **श्रीमती चिमन कंवर, बाग सिंह, दुर्जन सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पूंजराजसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **खिरजाखास** तहसील **शेरगढ** जिला **जोधपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-13/5189 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **33 JJW** का मु0 संख्या **62/61** रकबा **22.10** श्री **शाहीबनेअली** पुत्रश्री **शैयदहसन** जाति **मुसलमान** निवासी **25 भाक्ति कालोनी लोको रनिंग भौड के सामने रातानाडा जोधपुर** तहसील **जोधपुर** जिला **जोधपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/20/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शाहीबनेअली** की मृत्यु दिनांक **11/20/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शाहीबनेअली** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-13**/5190–5196 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जोधपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शाहीबनेअली** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सत्ताद हुसैन, नसीम फातमा, तनवीर फातमा** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शाहीबनेअली** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **25 भाक्ति कालोनी लोको रनिंग भौड के सामने रातानाडा जोधपुर** तहसील **जोधपुर** जिला **जोधपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-276/5197 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **33 JJW** का मु0 संख्या **82/17** रकबा **18.70** श्री **जोरसिंह** पुत्रश्री **हेमसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **भगूरा** तहसील **जोधपुर** जिला **जोधपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/30/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जोरसिंह** की मृत्यु दिनांक **11/30/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जोरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-276**/5198–5204 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जोधपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जोरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **फूलकंवर, मीरां, चन्द्रां** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जोरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भगूरा** तहसील **जोधपुर** जिला **जोधपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-156/5205 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **6 MD** का मु0 संख्या **21/41** रकबा **24.25** श्री **भयामलाल** पुत्रश्री **उमरावमल** जाति **गठवाल** निवासी **मकान नं 2 सैण्ट्रल स्कूल पुरानी पाली रोड जोधुपुर** तहसील **जोधपुर** जिला **जोधपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/25/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **10/8/2008** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भयामलाल** की मृत्यु दिनांक **8/25/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भयामलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-156**/5206–5212 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जोधपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भयामलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **कमलादेवी, राजे I, महे I वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भयामलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मकान नं 2 सैण्ट्रल स्कूल पुरानी पाली रोड जोधुपुर** तहसील **जोधपुर** जिला **जोधपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-587/5213 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **2 NM** का मु0 संख्या **233/36** रकबा **12.00** श्री **हेमाराम** पुत्रश्री **भीखाराम** जाति **भाट** निवासी **सेगरा** तहसील **शेरगढ** जिला **जोधपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12:00:00 AM** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हेमाराम** की मृत्यु दिनांक **12:00:00 AM** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हेमाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-587**/5214–5220 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जोधपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हेमाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भंवरी देवी** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हेमाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सेगरा** तहसील **शेरगढ** जिला **जोधपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-13/5221 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **29 BD** का मु0 संख्या **202/03** रकबा **25.00** श्री **किशनसिंह** पुत्रश्री **देवीसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **औसिया** तहसील **औसिया** जिला **जोधपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/21/2005** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किशनसिंह** की मृत्यु दिनांक **4/21/2005** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किशनसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-13**/5222–5228 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जोधपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किशनसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सिरे कंवर, महेन्द्र सिंह, कि ान सिंह, इन्द्र सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **किशनसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **औसिया** तहसील **औसिया** जिला **जोधपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-627/5229 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **3 PWM** का मु0 संख्या **205/21** रकबा **15.10** श्री **इन्द्रसिंह** पुत्रश्री **रूपसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **बालेसर** तहसील **शेरगढ** जिला **जोधपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/31/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **10/3/2008** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **इन्द्रसिंह** की मृत्यु दिनांक **3/31/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **इन्द्रसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-627**/5230–5236 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जोधपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **इन्द्रसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सुप्यार कंवर पुत्रवधू** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **इन्द्रसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बालेसर** तहसील **शेरगढ** जिला **जोधपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-390/5237 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **6 DWM** का मु0 संख्या **151/11** रकबा **10.00** श्री **उदयसिंह** पुत्रश्री **प्रतापसिह** जाति **राजपूत** निवासी **देलवा** तहसील **शेरगढ** जिला **जोधपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/15/2005** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **10/3/2008** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उदयसिंह** की मृत्यु दिनांक **5/15/2005** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उदयसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-390**/5238–5244 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जोधपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उदयसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **राधा कवंर, ओमप्रका I, गिरधारीसिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उदयसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **देलवा** तहसील **शेरगढ** जिला **जोधपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-46/5245 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 TM** का मु0 संख्या **240/32** रकबा **22.55** श्री **रणछोडसिंह** पुत्रश्री **प्रेमसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **रातानाडा** तहसील **जोधपुर** जिला **जोधपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/11/1992** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रणछोडसिंह** की मृत्यु दिनांक **6/11/1992** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रणछोडसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-46**/5246–5252 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जोधपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रणछोडसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **श्रीमति सीरू कंवर, भोमसिंह, सुमेरसिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रणछोडसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **रातानाडा** तहसील **जोधपुर** जिला **जोधपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-381/5253 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना न0 1** जिला जैसलमेर के चक **8 JWM** का मु0 संख्या **189/50** रकबा **10.00** श्री **तगत सिंह** पुत्रश्री **धन्न सिंह** जाति **राजपूत** निवासी **खिरजाति बन्ना** तहसील **भोरगढ** जिला **जोधपुर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/30/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **तगत सिंह** की मृत्यु दिनांक **11/30/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **तगत सिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-381**/5254–5260 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **जोधपुर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **तगत सिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मोहन कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **तगत सिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **खिरजाति बन्ना** तहसील **भोरगढ** जिला **जोधपुर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 23/5261 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **84-87 SD** का मु0 संख्या **95/33** रकबा **24.25** श्री **खानमोहम्मद खॉ** पुत्रश्री **उम्मेद खॉ** जाति **कायमखानी** निवासी **सथाना** तहसील **डेगाना** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/23/2012** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खानमोहम्मद खॉ** की मृत्यु दिनांक **10/23/2012** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खानमोहम्मद खॉ** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 23**/5262–5268 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खानमोहम्मद खॉ** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भामीम बानो, आरिफ खान, इमरान खान** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **खानमोहम्मद खॉ** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सथाना** तहसील **डेगाना** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-103/5269 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **15-17 SLD** का मु0 संख्या **89/24** रकबा **24.25** श्री **बहादूरसिंह** पुत्रश्री **बदनसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **बडावरा** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/9/1991** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/1/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बहादूरसिंह** की मृत्यु दिनांक **9/9/1991** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बहादूरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-103**/5270–5276 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बहादूरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **नारायण सिंह, नरपत सिंह,** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बहादूरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बडावरा** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-50/5277 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **11-12 BTSM** का मु0 संख्या **36/12** रकबा **25.00** श्री **असगर खॉ** पुत्रश्री **आलम खॉ** जाति **कायमखानी** निवासी **बेरीछोटी** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/11/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/24/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **असगर खॉ** की मृत्यु दिनांक **11/11/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **असगर खॉ** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-50**/5278–5284 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **असगर खॉ** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **हकीमन बानो, मुराद खां वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **असगर खॉ** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बेरीछोटी** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 33/5285 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **8 MKM-II** का मु0 संख्या **70/1** रकबा **10.00** श्री **रामबगसराम** पुत्रश्री **मानाराम** जाति **जाट** निवासी **दुगसताउ** तहसील **जायल** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/14/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामबगसराम** की मृत्यु दिनांक **5/14/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामबगसराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 33**/5286–5292 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामबगसराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मनफूल,भंवर लाल वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामबगसराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **दुगसताउ** तहसील **जायल** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 96/5293 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **9 LKM** का मु0 संख्या **85/4** रकबा **12.50** श्री **हीराराम** पुत्रश्री **जालाराम** जाति **जाट** निवासी **बोरावड** तहसील **परबतसर** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/16/1993** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/24/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हीराराम** की मृत्यु दिनांक **11/16/1993** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हीराराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 96**/5294–5300 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हीराराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **के ाराम,गंगाराम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हीराराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बोरावड** तहसील **परबतसर** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-56/5301 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **6-7 BM** का मु0 संख्या **112/38** रकबा **24.25** श्री **रावतसिंह** पुत्रश्री **माधोसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **लिचाणा** तहसील **नावां** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/8/1994** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रावतसिंह** की मृत्यु दिनांक **8/8/1994** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रावतसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-56**/5302–5308 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रावतसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **के ार कंवर,लक्ष्मण सिंह, सायर कंवर वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रावतसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **लिचाणा** तहसील **नावां** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-152/5309 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ–1** जिला जैसलमेर के चक **5 JVM** का मु0 संख्या **228/30** रकबा **25.00** श्री **भवानीसिंह** पुत्रश्री **प्रेमसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **बगतपुरा** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/20/2005** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भवानीसिंह** की मृत्यु दिनांक **2/20/2005** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भवानीसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-152**/5310–5316 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भवानीसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मागूसिंह, बूधसिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भवानीसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बगतपुरा** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-92/5317 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **13 NM** का मु0 संख्या **31/05** रकबा **12.00** श्री **नरपतसिंह** पुत्रश्री **नूनसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **सेवा** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/15/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नरपतसिंह** की मृत्यु दिनांक **5/15/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नरपतसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-92**/5318–5324 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नरपतसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **नारायण सिंह, जगमाल सिंह, वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नरपतसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सेवा** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 49/5325 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ–2** जिला जैसलमेर के चक **6 BIM** का मु0 संख्या **177/04** रकबा **24.25** श्री **रूघनाथसिंह** पुत्रश्री **चन्द्रसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **लिचाणा** तहसील **नावां** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/17/1987** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रूघनाथसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/17/1987** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रूघनाथसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 49**/5326–5332 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रूघनाथसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मोती सिंह,श्रीमती सुगन कंवर,** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रूघनाथसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **लिचाणा** तहसील **नावां** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-6/5333 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **19-20 SLD** का मु0 संख्या **90/42** रकबा **25.00** श्री **मानसिंह** पुत्रश्री **सूरजबख्ससिंह** जाति **राजपूत** निवासी **लिचाणा** तहसील **नावां** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/9/1991** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मानसिंह** की मृत्यु दिनांक **5/9/1991** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मानसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-6**/5334–5340 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मानसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भंवर कंवर, हणवंत सिंह, कि ान सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मानसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **लिचाणा** तहसील **नावां** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-23/5341 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **85-86 SLD** का मु0 संख्या **99/29** रकबा **25.00** श्री **भवंरसिंह** पुत्रश्री **हनुमानसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **चावडीया** तहसील **परवतसर** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/23/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भवंरसिंह** की मृत्यु दिनांक **8/23/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भवंरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-23**/5342–5348 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भवंरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **तोप कंवर, गिरवर सिंह, दातार सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भवंरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **चावडीया** तहसील **परवतसर** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-43/5349 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **10 BHTM** का मु0 संख्या **41/18** रकबा **24.25** श्री **रघुवीरसिंह** पुत्रश्री **गंगासिंह** जाति **राजपूत** निवासी **रोहिणी** तहसील **जायल** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/30/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **10/8/2008** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रघुवीरसिंह** की मृत्यु दिनांक **7/30/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रघुवीरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-43**/5350–5356 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रघुवीरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भयाम कंवर, दौलत सिंह, लक्ष्मण सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रघुवीरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **रोहिणी** तहसील **जायल** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-100/5357 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **1 AJM** का मु0 संख्या **111/63** रकबा **25.00** श्री **गुमानसिंह** पुत्रश्री **समेलसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **सिटवार** तहसील **परवतसर** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/28/1988** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **10/8/2008** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुमानसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/28/1988** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुमानसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-100**/5358–5364 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुमानसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **लाड कंवर,कि ोर सिंह, नीर सिंह, ि ाम्भू सिंह, ओम कंवर** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गुमानसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सिटवार** तहसील **परवतसर** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-28/5365 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **7 GTM-A** का मु0 संख्या **208/7** रकबा **24.10** श्री **छोटूराम** पुत्रश्री **गणेशाराम** जाति **मेघवाल** निवासी **बाठडी** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/5/1993** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छोटूराम** की मृत्यु दिनांक **5/5/1993** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छोटूराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-28**/5366–5372 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छोटूराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **कि ोरी देवी** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छोटूराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बाठडी** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-165/5373 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ न0 1** जिला जैसलमेर के चक **3 JSM** का मु0 संख्या **124/35** रकबा **24.00** श्री **ईस्माइल खॉ** पुत्रश्री **बदरू खॉ** जाति **मुसलमान** निवासी **धनकोली** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/3/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **8/14/2012** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ईस्माइल खॉ** की मृत्यु दिनांक **9/3/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ईस्माइल खॉ** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-165**/5374–5380 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ईस्माइल खॉ** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रहमत बानो, आमीन खॉ, जफर वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ईस्माइल खॉ** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **धनकोली** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-212/5381 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **75 SD** का मु0 संख्या **18/49** रकबा **24.25** श्री **पीथाराम** पुत्रश्री **फूलाराम** जाति **मेघवाल** निवासी **बनवासा** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/8/2005** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पीथाराम** की मृत्यु दिनांक **6/8/2005** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पीथाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-212**/5382–5388 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पीथाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भंवर लाल, हेमाराम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **पीथाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बनवासा** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-22/5389 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **4 KJM** का मु0 संख्या **24/02** रकबा **10.90** श्री **बलूखां** पुत्रश्री **इस्माईखॉ** जाति **कायमखानी** निवासी **रोहिना** तहसील **जायल** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/5/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बलूखां** की मृत्यु दिनांक **4/5/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बलूखां** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-22**/5390–5396 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बलूखां** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सलावत खॉ** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बलूखां** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **रोहिना** तहसील **जायल** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-31/5397 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **3 BWM** का मु0 संख्या **52/10** रकबा **25.00** श्री **फूसाराम** पुत्रश्री **हनुमानसिंह** जाति **दरोगा** निवासी **दाउसर** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/21/1992** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **फूसाराम** की मृत्यु दिनांक **10/21/1992** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **फूसाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-31**/5398–5404 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **फूसाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सज्जन कंवर, गोपाल सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **फूसाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **दाउसर** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-30/5405 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **1 DDM** का मु0 संख्या **120/42** रकबा **25.00** श्री **उदयराम** पुत्रश्री **ओमाराम** जाति **जाट** निवासी **दलेलपुरा** तहसील **नागौर** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/25/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उदयराम** की मृत्यु दिनांक **12/25/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उदयराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-30**/5406–5412 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उदयराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मोहरी देवी, मुके** I को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उदयराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **दलेलपुरा** तहसील **नागौर** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-109/5413 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **9 MKD** का मु0 संख्या **148/6** रकबा **15.00** श्री **रामदेव** पुत्रश्री **नाथू** जाति **मेघवाल** निवासी **कूकउनेद** तहसील **नागौर** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/6/1993** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामदेव** की मृत्यु दिनांक **5/6/1993** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामदेव** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-109**/5414–5420 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामदेव** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सुवटी बलाई, चन्द्राराम, चूनाराम, जीवणराम, ि ावकरण** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामदेव** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **कूकउनेद** तहसील **नागौर** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-61/5421 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **29 SLD** का मु0 संख्या **168/25** रकबा **18.20** श्री **उमेदसिंह** पुत्रश्री **गंगासिंह** जाति **राजपूत** निवासी **कुडली** तहसील **नागौर** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/13/1905** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उमेदसिंह** की मृत्यु दिनांक **6/13/1905** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उमेदसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-61**/5422–5428 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उमेदसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भंवर कंवर, भंवर सिंह, सुरेन्द्र सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उमेदसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **कुडली** तहसील **नागौर** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-110/5429 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **4 QLM** का मु0 संख्या **54/42** रकबा **24.25** श्री **धीरसिंह** पुत्रश्री **तेजसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **राजलिया** तहसील **नागौर** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/29/1991** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धीरसिंह** की मृत्यु दिनांक **10/29/1991** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धीरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-110**/5430–5436 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धीरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सज्जन कंवर, गिरवर सिंह, महेन्द्र सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **धीरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **राजलिया** तहसील **नागौर** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-223/5437 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **10 SLD** का मु0 संख्या **50/51** रकबा **25.00** श्री **दुलाराम** पुत्रश्री **खेमाराम** जाति **जाट** निवासी **सानिया** तहसील **नागौर** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/25/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दुलाराम** की मृत्यु दिनांक **5/25/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दुलाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-223**/5438–5444 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दुलाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **बाली देवी,मांगूराम, गोविंद राम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दुलाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सानिया** तहसील **नागौर** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-93/5445 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **3 GTM** का मु0 संख्या **189/05** रकबा **23.50** श्री **मेधाराम** पुत्रश्री **गोपीराम** जाति **जाट** निवासी **प्यावा** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/29/2006** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मेधाराम** की मृत्यु दिनांक **4/29/2006** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मेधाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-93**/5446–5452 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मेधाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मोनी देवी,रतनाराम, भोमाराम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मेधाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **प्यावा** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-50/5453 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **12 JWM-A** का मु0 संख्या **206/62** रकबा **25.00** श्री **छगनसिंह** पुत्रश्री **मोहनसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **मकराना** तहसील **नागौर** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/2/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छगनसिंह** की मृत्यु दिनांक **2/2/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छगनसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-50**/5454–5460 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छगनसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भोम सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छगनसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मकराना** तहसील **नागौर** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-88/5461 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **11 DWM** का मु0 संख्या **128/38** रकबा **24.10** श्री **रेखाराम** पुत्रश्री **नानूराम** जाति **जाट** निवासी **भीडासरी** तहसील **लाडनू** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/4/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **10/8/2008** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रेखाराम** की मृत्यु दिनांक **11/4/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रेखाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-88**/5462–5468 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रेखाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मुन्नाराम,जीवणराम,** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रेखाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भीडासरी** तहसील **लाडनू** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-30/5469 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **3 JRM** का मु0 संख्या **181/59** रकबा **25.00** श्री **गंगासिंह** पुत्रश्री **रूघनाथंसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **गुणावती** तहसील **परवतसर** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/8/2006** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गंगासिंह** की मृत्यु दिनांक **6/8/2006** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गंगासिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-30**/5470–5476 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गंगासिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **दिलीप सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गंगासिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गुणावती** तहसील **परवतसर** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-16/5477 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **2 BNJ** का मु0 संख्या **198/26** रकबा **24.25** श्री **प्रतापसिंह** पुत्रश्री **फूलसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **गावडी** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/26/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **9/26/2012** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रतापसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/26/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रतापसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-16**/5478–5484 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रतापसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **नारायण सिंह, रणवीर सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रतापसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गावडी** तहसील **डीडवाना** जिला **नागौर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-1/5485 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **5-7 SLM** का मु0 संख्या **130/5** रकबा **24.25** श्री **विजय सिंह** पुत्रश्री **बहादुरसिंह** जाति **राजूपत** निवासी **भातडिया** तहसील **निवाई** जिला **टोंक** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/23/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **विजय सिंह** की मृत्यु दिनांक **10/23/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **विजय सिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-1**/5486–5492 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **टोंक** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **विजय सिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मनोहर कौर, जितेन्द्र सिंह, सत्येन्द्र सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **विजय सिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भातडिया** तहसील **निवाई** जिला **टोंक** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 44/5493 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1 BRM** का मु0 संख्या **45/11** रकबा **24.25** श्री **विजेन्द्रकुमार** पुत्रश्री **कामेश्वरनाथ** जाति **ब्राहम्ण** निवासी **अजमेर** तहसील **अजमेर** जिला **अजमेर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/29/2009** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **विजेन्द्रकुमार** की मृत्यु दिनांक **9/29/2009** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **विजेन्द्रकुमार** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 44**/5494–5500 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अजमेर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **विजेन्द्रकुमार** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **निर्मला, वैभव** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **विजेन्द्रकुमार** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **अजमेर** तहसील **अजमेर** जिला **अजमेर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-4/5501 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **6 M2M** का मु0 संख्या **83/39** रकबा **25.00** श्री **रामा** पुत्रश्री **दुला** जाति **रावत** निवासी **बडलिया** तहसील **अजमेर** जिला **अजमेर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/24/1993** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/22/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामा** की मृत्यु दिनांक **1/24/1993** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामा** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-4**/5502–5508 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अजमेर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामा** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **जयसिंह, गोपालसिंह, रामेश्वरसिंह, भागचन्द, पप्पू, इन्द्रा** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामा** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बडलिया** तहसील **अजमेर** जिला **अजमेर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 17/5509 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **33 JJW** का मु0 संख्या **62/57** रकबा **24.25** श्री **मोतीलाल** पुत्रश्री **मनीराम** जाति **ब्राहम्ण** निवासी **आम की पाल ज्ञानदीप स्कूल के पीछे अजमेर** तहसील **अजमेर** जिला **अजमेर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/8/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मोतीलाल** की मृत्यु दिनांक **11/8/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मोतीलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 17**/5510–5516 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अजमेर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मोतीलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **पुश्पा** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **मोतीलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **आम की पाल ज्ञानदीप स्कूल के पीछे अजमेर** तहसील **अजमेर** जिला **अजमेर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-65/5517 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **87-88 SLD** का मु0 संख्या **99/17** रकबा **24.25** श्री **छोटूलाल** पुत्रश्री **ईश्वरलाल** जाति **कहार** निवासी **सराबाग** तहसील **अजमेर** जिला **अजमेर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/1/1989** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छोटूलाल** की मृत्यु दिनांक **10/1/1989** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छोटूलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-65**/5518–5524 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अजमेर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छोटूलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **हीरा देवी** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **छोटूलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सराबाग** तहसील **अजमेर** जिला **अजमेर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-81/5525 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **3 SBS** का मु0 संख्या **56/10** रकबा **24.25** श्री **गंगाराम** पुत्रश्री **दुर्गाराम** जाति **भाम्भी** निवासी **आसान** तहसील **ब्यावर** जिला **अजमेर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/30/1992** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/10/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गंगाराम** की मृत्यु दिनांक **3/30/1992** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गंगाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-81**/5526–5532 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अजमेर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गंगाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भंवरी देवी,प्रका ाराम, कैला ा राम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गंगाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **आसान** तहसील **ब्यावर** जिला **अजमेर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-50/5533 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 TM** का मु0 संख्या **240/37** रकबा **24.25** श्री **औकारसिंह** पुत्रश्री **किसनलाल** जाति **आर्य** निवासी **मकान न. 1299ध्8 फरीदबाग कॉलोनी भगवान गंज अजमेर** तहसील **अजमेर** जिला **अजमेर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/11/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **औकारसिंह** की मृत्यु दिनांक **3/11/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **औकारसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-50**/5534–5540 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अजमेर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **औकारसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **कुसूम, भुवने ाकुमार, हरी ा कुमार** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **औकारसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मकान न. 1299ध्8 फरीदबाग कॉलोनी भगवान गंज अजमेर** तहसील **अजमेर** जिला **अजमेर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-10/5541 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ़ न0 1** जिला जैसलमेर के चक **112-113 SLD** का मु0 संख्या **174/61** रकबा **24.25** श्री **तुलसीदास** पुत्रश्री **लादूदास** जाति **साधू** निवासी **भवानीपुरा** तहसील **मसूदा** जिला **अजमेर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/9/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **तुलसीदास** की मृत्यु दिनांक **12/9/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **तुलसीदास** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-10**/5542–5548 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अजमेर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **तुलसीदास** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **श्रीमती भंवरी** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **तुलसीदास** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भवानीपुरा** तहसील **मसूदा** जिला **अजमेर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-341/5549 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **12 JWM** का मु0 संख्या **207/27** रकबा **25.00** श्री **रघुवीसिंह** पुत्रश्री **नत्थूसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **गुगलकोटा** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/25/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/24/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रघुवीसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/25/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रघुवीसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-341**/5550–5556 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रघुवीसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **कर्णसिंह, विक्रम सिंह, कैला I सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रघुवीसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गुगलकोटा** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 13/5557 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **31 JJW** का मु0 संख्या **23/52** रकबा **25.00** श्री **सरदाराराम** पुत्रश्री **लदूरमल** जाति **अहिर** निवासी **अटोली** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/20/2013** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/24/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदाराराम** की मृत्यु दिनांक **2/20/2013** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदाराराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 13**/5558–5564 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदाराराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **नन्दोडी देवी, रमे ा कुमार,लखमी चंद,** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सरदाराराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **अटोली** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-160/5565 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **4-8 PWM** का मु0 संख्या **204/39** रकबा **25.00** श्री **गिरधारीसिंह** पुत्रश्री **मुखरामसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **खुदरोठ** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/22/1986** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गिरधारीसिंह** की मृत्यु दिनांक **2/22/1986** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गिरधारीसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-160**/5566–5572 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गिरधारीसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **तोफा बाई** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गिरधारीसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **खुदरोठ** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-238/5573 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **15-17 SDY** का मु0 संख्या **212/57** रकबा **14.00** श्री **ज्ञानसिंह** पुत्रश्री **भंवरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **डाबडवास** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/17/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ज्ञानसिंह** की मृत्यु दिनांक **4/17/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ज्ञानसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-238**/5574–5580 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ज्ञानसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सूरज कंवर, द ारथ सिंह, इन्द्राज सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ज्ञानसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **डाबडवास** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-142/5581 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **8 GTM** का मु0 संख्या **168/58** रकबा **25.00** श्री **नारायणसिंह** पुत्रश्री **जसंवतसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **गीगलाना** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/26/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/24/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नारायणसिंह** की मृत्यु दिनांक **6/26/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नारायणसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-142**/5582–5588 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नारायणसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **बजरंग सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नारायणसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गीगलाना** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 47/5589 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **6 QLM** का मु0 संख्या **52/21** रकबा **24.25** श्री **रामजीलाल** पुत्रश्री **तोताराम** जाति **अहिर** निवासी **खेडली सैयद** तहसील **अलवर** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/16/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामजीलाल** की मृत्यु दिनांक **6/16/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामजीलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 47**/5590–5596 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामजीलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **धर्मवीर,सत्यवीर वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामजीलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **खेडली सैयद** तहसील **अलवर** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 1/5597 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **7 SM** का मु0 संख्या **49/7** रकबा **22.00** श्री **लल्लूराम** पुत्रश्री **प्रभातीराम** जाति **मेहतर** निवासी **अलवर** तहसील **अलवर** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/26/2014** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लल्लूराम** की मृत्यु दिनांक **12/26/2014** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लल्लूराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 1**/5598–5604 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लल्लूराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **कन्हैयालाल** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लल्लूराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **अलवर** तहसील **अलवर** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 35/5605 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **10 MKM-ll** का मु0 संख्या **68/13** रकबा **25.00** श्री **कालूराम** पुत्रश्री **भोलाराम** जाति **नाई** निवासी **रतनगढ पाल** तहसील **अलवर** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **12/25/2007** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12:00:00 AM** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कालूराम** की मृत्यु दिनांक **12/25/2007** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कालूराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 35**/5606–5612 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कालूराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **कैला ा चन्द्र,लक्ष्मी देवी वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कालूराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **रतनगढ पाल** तहसील **अलवर** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-9/5613 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **3 JKM** का मु0 संख्या **76/16** रकबा **25.00** श्री **श्योकरण** पुत्रश्री **सीताराम** जाति **अहिर** निवासी **मैनपुर** तहसील **मुण्डावर** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/11/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/26/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योकरण** की मृत्यु दिनांक **8/11/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योकरण** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-9**/5614–5620 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योकरण** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **नरेन्द्र, महेन्द्र वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योकरण** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मैनपुर** तहसील **मुण्डावर** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 85/5621 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **12 LLB** का मु0 संख्या **38/58** रकबा **25.00** श्री **जगदीश** पुत्रश्री **छाजूराम** जाति **चमार** निवासी **मउ** तहसील **मुण्डावर** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/26/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/24/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जगदीश** की मृत्यु दिनांक **2/26/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जगदीश** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 85**/5622–5628 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जगदीश** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सरतीदेी, मुके I, भाांति वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जगदीश** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मउ** तहसील **मुण्डावर** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-176/5629 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **2 QRM** का मु0 संख्या **91/13** रकबा **24.25** श्री **श्योनारायण** पुत्रश्री **पूरण** जाति **अहिर** निवासी **भोजपुरी** तहसील **मुण्डावर** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/2/2010** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योनारायण** की मृत्यु दिनांक **9/2/2010** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योनारायण** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-176**/5630–5636 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योनारायण** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **प्रहलाद सिंह, जयलाल वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **श्योनारायण** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भोजपुरी** तहसील **मुण्डावर** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 17/5637 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **7 MD-B** का मु0 संख्या **41/29** रकबा **25.00** श्री **रामकिशन** पुत्रश्री **खेमाराम** जाति **अहिर** निवासी **हाल सारणवास** तहसील **कोटकासीम** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/12/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/24/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामकिशन** की मृत्यु दिनांक **11/12/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामकिशन** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 17**/5638–5644 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामकिशन** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **नरे ा कुमार** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामकिशन** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हाल सारणवास** तहसील **कोटकासीम** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-6/5645 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **6 BTSM** का मु0 संख्या **57/21** रकबा **22.50** श्री **सोहनलाल** पुत्रश्री **पूरणदास** जाति **ब्राहम्ण** निवासी **मिलख्पुर** तहसील **रामगढ** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/5/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/24/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सोहनलाल** की मृत्यु दिनांक **5/5/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सोहनलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-6**/5646–5652 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सोहनलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **राममूर्ति और कमले I कुमारी(पुत्रवधू)** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सोहनलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मिलख्पुर** तहसील **रामगढ** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R- 28/5653 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **1 DDM** का मु0 संख्या **120/41** रकबा **25.00** श्री **जुम्माराम** पुत्रश्री **सेवाराम** जाति **राजपूत** निवासी **नसवारी** तहसील **लक्ष्मणगढ हाल बहबलपुर फतेहाबाद हरियाणा** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/10/2012** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/24/2014** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जुम्माराम** की मृत्यु दिनांक **8/10/2012** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जुम्माराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R- 28**/5654–5660 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जुम्माराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **कम्मोबाई, मुं ीराम, हांडीराम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **जुम्माराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **नसवारी** तहसील **लक्ष्मणगढ हाल बहबलपुर फतेहाबाद हरियाणा** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-55/5661 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **1 SWM** का मु0 संख्या **114/06** रकबा **24.25** श्री **ग्यारसाराम** पुत्रश्री **इन्द्राज** जाति **अहीर** निवासी **महाराजबास** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/18/1993** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ग्यारसाराम** की मृत्यु दिनांक **8/18/1993** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ग्यारसाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-55**/5662–5668 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ग्यारसाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **माति देवी, मनोज कुमार, दीपक वगैरा** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ग्यारसाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **महाराजबास** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-391/5669 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **16 PD** का मु0 संख्या **103/50** रकबा **24.25** श्री **लीलाराम** पुत्रश्री **वीरबल** जाति **अहीर** निवासी **कल्याणपुरा** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/11/1986** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लीलाराम** की मृत्यु दिनांक **9/11/1986** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लीलाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-391**/5670–5676 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लीलाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सावित्री देवी** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **लीलाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **कल्याणपुरा** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-381/5677 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **3 MMM** का मु0 संख्या **27/08** रकबा **21.00** श्री **उमरावसिंह** पुत्रश्री **बिहारीलाल** जाति **स्वामी** निवासी **फौलादपुर** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/24/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उमरावसिंह** की मृत्यु दिनांक **1/24/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उमरावसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-381**/5678–5684 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उमरावसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **ओमप्रका I, अर्जुन सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उमरावसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **फौलादपुर** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-332/5685 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **12 JWM** का मु0 संख्या **187/19** रकबा **25.00** श्री **सुखराम** पुत्रश्री **मामराज** जाति **हरिजन** निवासी **सोनायचाखुर्द** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **6/15/2003** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुखराम** की मृत्यु दिनांक **6/15/2003** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुखराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-332**/5686–5692 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुखराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **महादेवी, संतोश कुमार** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **सुखराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **सोनायचाखुर्द** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-123/5693 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **5 DDN** का मु0 संख्या **118/27** रकबा **25.00** श्री **भगवानसहाय** पुत्रश्री **नरसंग** जाति **चमार** निवासी **भगवाडीखुर्द** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **5/15/1990** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानसहाय** की मृत्यु दिनांक **5/15/1990** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानसहाय** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-123**/5694–5700 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानसहाय** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भाांतिदेवीखु ीराम जगदी ज्ञ वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भगवानसहाय** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **भगवाडीखुर्द** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-234/5701 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **5 MD** का मु0 संख्या **60/47** रकबा **23.12** श्री **ओमप्रकाश** पुत्रश्री **जयनारायण** जाति **नाई** निवासी **गोकुलपुर** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/14/1992** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ओमप्रकाश** की मृत्यु दिनांक **8/14/1992** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ओमप्रकाश** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-234**/5702–5708 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ओमप्रकाश** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **उर्मिला देवी, करण सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ओमप्रकाश** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **गोकुलपुर** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-111/5709 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **87-88 SD** का मु0 संख्या **99/17** रकबा **24.25** श्री **उमराव** पुत्रश्री **घिसाराम** जाति **अहीर** निवासी **झालावास** तहसील **मुण्डावर** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/4/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उमराव** की मृत्यु दिनांक **9/4/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उमराव** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-111**/5710–5716 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उमराव** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **फूलमति,दयाराम, अमर सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उमराव** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **झालावास** तहसील **मुण्डावर** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-388/5717 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **2-4 DDM** का मु0 संख्या **119/46** रकबा **25.00** श्री **अमरसिंह** पुत्रश्री **हजारी सिंह** जाति **राजपूत** निवासी **बेलवी** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/30/1995** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमरसिंह** की मृत्यु दिनांक **7/30/1995** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-388**/5718–5724 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **विमला देवी, रामसिंह ,हरिसिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **अमरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बेलवी** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-208/5725 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **4 KLM** का मु0 संख्या **22/59** रकबा **25.00** श्री **बहादूरसिंह** पुत्रश्री **फतेहसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **पिपली** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/8/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बहादूरसिंह** की मृत्यु दिनांक **2/8/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बहादूरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-208**/5726–5732 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बहादूरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **विक्रम सिंह, मोहन सिंह, प्रवीण सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बहादूरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **पिपली** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-403/5733 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **3-4 RWM** का मु0 संख्या **104/46** रकबा **25.00** श्री **कुन्दनलाल** पुत्रश्री **मोहनराम** जाति **अहीर** निवासी **नारेडाखुर्द** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **4/16/2000** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कुन्दनलाल** की मृत्यु दिनांक **4/16/2000** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कुन्दनलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-403**/5734–5740 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कुन्दनलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **बाबूलाल दतक पुत्र** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **कुन्दनलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **नारेडाखुर्द** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-/5741 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **3 M2M** का मु0 संख्या **62/57** रकबा **25.00** श्री **हरीसिंह** पुत्रश्री **नजीरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **तसई** तहसील **लक्ष्मणगढ** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/27/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरीसिंह** की मृत्यु दिनांक **9/27/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरीसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-**/5742–5748 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरीसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **भाांति देवी, नारायण सिंह, प्रेम सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरीसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **तसई** तहसील **लक्ष्मणगढ** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-97/5749 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **5 SLD** का मु0 संख्या **31/57** रकबा **24.00** श्री **शेरसिंह** पुत्रश्री **रणजीत सिंह** जाति **अहीर** निवासी **हाडाहेडी** तहसील **मुण्डावर** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/17/1992** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शेरसिंह** की मृत्यु दिनांक **9/17/1992** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शेरसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-97**/5750–5756 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शेरसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रामपाल, मामचंद** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **शेरसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **हाडाहेडी** तहसील **मुण्डावर** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-26/5757 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **5 DDM** का मु0 संख्या **118/17** रकबा **25.00** श्री **हरनाम सिंह** पुत्रश्री **नेतसिंह** जाति **मजहबी सिख** निवासी **नवाबपुर** तहसील **अलवर** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **1/16/1998** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरनाम सिंह** की मृत्यु दिनांक **1/16/1998** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरनाम सिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-26**/5758–5764 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरनाम सिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मोहन सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **हरनाम सिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **नवाबपुर** तहसील **अलवर** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-5/5765 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **2 M2M (B)** का मु0 संख्या **81/64** रकबा **23.00** श्री **नौबतराम** पुत्रश्री **गोकुलचन्द** जाति **शर्मा** निवासी **तसई** तहसील **लक्ष्मणगढ** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **8/11/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नौबतराम** की मृत्यु दिनांक **8/11/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नौबतराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-5**/5766–5772 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नौबतराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **निर्मला देवी, रविन्द्र कुमार,वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **नौबतराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **तसई** तहसील **लक्ष्मणगढ** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-3/5773 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **9 MMM** का मु0 संख्या **27/45** रकबा **25.00** श्री **महेश चन्द्र** पुत्रश्री **मोहनलाल** जाति **ब्राहम्ण** निवासी **थानाराजाजी** तहसील **राजगढ** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/31/1999** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **महेश चन्द्र** की मृत्यु दिनांक **3/31/1999** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **महेश चन्द्र** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-3**/5774–5780 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **महेश चन्द्र** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **रामभूलि पत्नी श्री मीथले I, अनामिका वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **महेश चन्द्र** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **थानाराजाजी** तहसील **राजगढ** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-211/5781 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **1 DDM** का मु0 संख्या **120/33** रकबा **24.25** श्री **चोखाराम** पुत्रश्री **हेतराम** जाति **जाट** निवासी **फौलादपुर** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **9/3/1996** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चोखाराम** की मृत्यु दिनांक **9/3/1996** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चोखाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-211**/5782–5788 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चोखाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **श्रीराम, भगवती देवी पत्नी श्री अमर सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **चोखाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **फौलादपुर** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-20/5789 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **11 LKM-B** का मु0 संख्या **104/19** रकबा **24.25** श्री **रामेश्वर दयाल** पुत्रश्री **रामप्रसाद** जाति **ब्राह्मण** निवासी **किशनगढवास** तहसील **अलवर** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/20/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामेश्वर दयाल** की मृत्यु दिनांक **7/20/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामेश्वर दयाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-20**/5790–5796 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामेश्वर दयाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **कमलकान्त, जयकुमार वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **रामेश्वर दयाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **किशनगढवास** तहसील **अलवर** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-346/5797 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **6 QLM** का मु0 संख्या **52/13** रकबा **23.50** श्री **भवानीसाय** पुत्रश्री **बालाराम** जाति **अहिर** निवासी **बुडियाखुर्द** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/6/2002** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भवानीसाय** की मृत्यु दिनांक **11/6/2002** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भवानीसाय** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-346**/5798–5804 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भवानीसाय** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **लाली देवी** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **भवानीसाय** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बुडियाखुर्द** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-4/5805 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 3** जिला जैसलमेर के चक **12-13 BNJ** का मु0 संख्या **94/58** रकबा **25.00** श्री **गंगाराम** पुत्रश्री **भोराराम** जाति **गुर्जर** निवासी **जटियाना** तहसील **किशनगढबास** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/28/1994** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **6/18/2012** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गंगाराम** की मृत्यु दिनांक **3/28/1994** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गंगाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-4**/5806–5812 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गंगाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **प्रहलादी देवी पत्नी श्री हरदयाल, रामरती,मेवा पुत्री श्री गंगाराम** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **गंगाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **जटियाना** तहसील **किशनगढबास** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-24/5813 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **26 JJW** का मु0 संख्या **46/17** रकबा **24.25** श्री **ज्ञानसिंह** पुत्रश्री **कल्याणसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **पेहल** तहसील **मुण्डावर** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **10/10/2001** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **8/23/2012** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ज्ञानसिंह** की मृत्यु दिनांक **10/10/2001** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ज्ञानसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-24**/5814–5820 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ज्ञानसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **सूरज देवी,गगनपाल सिंह वगैरा** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ज्ञानसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **पेहल** तहसील **मुण्डावर** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-21/5821 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **6 KJM** का मु0 संख्या **02/12** रकबा **24.25** श्री **उम्मराव** पुत्रश्री **देवकरण** जाति **जाट** निवासी **बहरोड जाट** तहसील **मुण्डावर** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/16/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **2/21/2010** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उम्मराव** की मृत्यु दिनांक **3/16/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उम्मराव** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-21**/5822–5828 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उम्मराव** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **फूल कौर,मेहर सिंह,दलपत सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **उम्मराव** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बहरोड जाट** तहसील **मुण्डावर** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-19/5829 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 2** जिला जैसलमेर के चक **14 SLD** का मु0 संख्या **70/49** रकबा **25.00** श्री **दिलीपसिंह** पुत्रश्री **केशरसिंह** जाति **जटसिख** निवासी **बादोडी** तहसील **रामगढ** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/21/1989** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **9/26/2012** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दिलीपसिंह** की मृत्यु दिनांक **2/21/1989** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दिलीपसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-19**/5830–5836 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दिलीपसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **जोगेन्द्र सिंह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **दिलीपसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **बादोडी** तहसील **रामगढ** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-38/5837 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **नाचना नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **2 MKM-II** का मु0 संख्या **28/37** रकबा **25.00** श्री **बिहारीसिंह** पुत्रश्री **भवंरसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **नवली बलाई** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **3/20/1994** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बिहारीसिंह** की मृत्यु दिनांक **3/20/1994** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बिहारीसिंह** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-38**/5838–5844 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बिहारीसिंह** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **विद्या देवी, सुनील सिंह वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **बिहारीसिंह** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **नवली बलाई** तहसील **बहरोड** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-163/5845 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **5 MMM** का मु0 संख्या **28/22** रकबा **25.00** श्री **प्रभातीलाल** पुत्रश्री **छाजीराम** जाति **अहीर** निवासी **मेलाबास** तहसील **मुण्डावर** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **11/1/1990** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रभातीलाल** की मृत्यु दिनांक **11/1/1990** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रभातीलाल** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-163**/5846–5852 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रभातीलाल** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **मोहरादेवी, विजयसिंह, दयाराम वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **प्रभातीलाल** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मेलाबास** तहसील **मुण्डावर** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-7/5853 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **मोहनगढ नं0 1** जिला जैसलमेर के चक **30 BD** का मु0 संख्या **201/46** रकबा **24.25** श्री **ओमप्रका ा** पुत्रश्री **नानकसिंह** जाति **ब्राह्मण** निवासी **मिलखपुर** तहसील **रामगढ़** जिला **अलवर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **7/23/2004** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ओमप्रका ा** की मृत्यु दिनांक **7/23/2004** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ओमप्रका ा** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-7**/5854–5860 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **अलवर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ओमप्रका ा** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **चम्पारानी, अश्विनी कुमार, भूशण लाल व सुनील कुमार** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **ओमप्रकाश** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **मिलखपुर** तहसील **रामगढ़** जिला **अलवर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./R-248/5861 दिनांक :– 28/9/2020

सार्वजनिक सूचना

(See clause (Xii) of rule 12A of Rajasthan Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975)

नीचे दिये अनुसार उपनिवेशन तहसील **रामगढ–1** जिला जैसलमेर के चक **5 RYSM** का मु0 संख्या **188/44** रकबा **25.00** श्री **परसाराम** पुत्रश्री **बालकिशन** जाति **ब्राहम्ण** निवासी **रानी बाजार** तहसील **बीकानरे** जिला **बीकानेर** को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क के तहत आवंटित की गई थी/आवंटन का आवेदन स्वीकार किया गया था। परन्तु आवेदक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु आवंटन आदेश जारी होने/कब्जा प्राप्ति से पूर्व दिनांक **2/13/1997** को हो गई। अतः कब्जा प्राप्ति के अभाव में आवेदक का आवंटन दिनांक **12/19/2007** को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क में संशोधन किया जाकर Notification No-4(16)col/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 द्वारा नियम 12क (Xii) जोड़ा गया है। जिसके अनुसार आवेदन/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) की मृत्यु पश्चात् आवंटन आदेश/संशोधित आदेश उनके Spouse एवं Spouse के जीवित नहीं होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों के नाम जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली अनुसार आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **परसाराम** की मृत्यु दिनांक **2/13/1997** को होना प्रतीत होती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आवेदक/आवंटी के Spouse/Legal heirs के दावे (Claims) का विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

अतः आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **परसाराम** के Spouse/Legal heirs इन नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपना दावा पेश कर सकते है, अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर

क्रमांक प.10/पू.सै./**R-248**/5862–5868 दिनांक :– 28/9/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड **बीकानेर** को प्रेषित कर लेख है कि नोटिस की प्रति आपके कार्यालय के सूचना पटल एवं आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **परसाराम** के निवास स्थान पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।

(2) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) के Spouse/Legal heirs श्री/श्रीमति **वेदवन्ती,दीपक,रूपक वगैरह** को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में उन्हें अगर कोई आपत्ति है तो नोटिस जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध वारिसान के दावे (Claims) का विनिश्चिय राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 12क (Vii-b) की प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार किया जायेगा।

(3) आवेदक/आवंटी (भूतपूर्व सैनिक) श्री **परसाराम** के पत्रावली पर उपलब्ध रहवासी पते निवासी **रानी बाजार** तहसील **बीकानरे** जिला **बीकानेर** पर डाक द्वारा।

(4) सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर नोटिस की प्रति अपलोड करावें।

(5) नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(6) रक्षित पत्रावली।

आवंटन अधिकारी एवं
अति0 आयुक्त उपनिवेशन
(अपील) बीकानेर